राज्य सभा सचिवालय

सचिवालय के प्रकाशनों की समीक्षा करने और प्रकाशनों की संख्या/प्रतियों को कम करने की अनुशंसा करने हेतु गठित की गई अधिकारियों की समिति

समिति का प्रतिवेदन

नई दिल्ली
फरवरी, 2018/26 **माघ**, 1939 (**शक**)

प्रस्तावना

महासचिव द्वारा 16 नवम्बर, 2017 को अधिकारियों की एक समिति का गठन किया गया था जिसका उद्देश्य राज्य सभा तथा इसके सचिवालय में उपयोगिता के संदर्भ में सचिवालय द्वारा प्रकाशित की जा रही विभिन्न पुस्तकों की संपूर्ण संवीक्षा करना तथा उनके संबंध में ऐसी सिफ़ारिश/सुझाव प्रदान करना था कि क्या उनमें से किसी का प्रकाशन बंद किया जा सकता है अथवा उनकी मुद्रित की जाने वाली प्रतियों की संख्या में कमी की जा सकती है अथवा उनमें से किसी को केवल डिजिटल रूप में प्रकाशित किया जा सकता है और उसे राज्य सभा की इंटरानेट/इंटरनेट साइट पर डाला जा सकता है।

समिति के अध्यक्ष के रूप में, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर मैं एतद द्वारा समिति का उक्त प्रतिवेदन राज्य सभा के महासचिव के सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ।

समिति ने प्रकाशनों की संवीक्षा अवधि के दौरान तीन बैठकें की थीं। समिति ने 13 फरवरी, 2018 को अपना प्रतिवेदन स्वीकार किया।

मुकुल पांडे
अध्यक्ष

नई दिल्ली,
15 **फरवरी**, 2018

प्रतिवेदन

महासचिव, राज्य सभा द्वारा सचिवालय द्वारा प्रकाशित की जा रही पुस्तकों की संवीक्षा करने तथा उन पुस्तकों/प्रतियों की संख्या को कम किए जाने की सिफ़ारिश करने के संबंध में 16 नवम्बर, 2017 को एक समिति का गठन किया गया था जिसमें निम्नलिखित अधिकारी सम्मिलित थेः

1.	श्री मुकुल पांडे अपर सचिव	-	अध्यक्ष
2.	श्री एम.के.खान संयुक्त सचिव	-	सदस्य (प्रश्नों का प्रतिनिधित्व करने हेतु)
3.	श्री जे.जी. नेगी संयुक्त सचिव	-	सदस्य (मुद्रण सेवा के प्रतिनिधि)
4.	श्री एस.डी. नौटियाल संयुक्त सचिव	-	सदस्य (लार्डिस के प्रतिनिधि)
5.	श्री जे. सुंदरियाल संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	-	सदस्य (समन्वय समिति एवं वित्त संबंधी समिति के प्रतिनिधि)
6.	श्रीमती शशिलेखा नायर निदेशक	-	सदस्य सचिव

2. आरंभ में, समिति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए दो माह का समय दिया गया था। चूंकि समिति को दिया गया परिमित समय राज्य सभा के 244 वें सत्र के साथ पड़ रहा था, इसलिए इसका कार्यकाल एक महीना, अर्थात् 15 फरवरी, 2018 तक बढ़ा दिए जाने के संबंध में महासचिव से मांग की गयी थी जिसे उनके द्वारा स्वीकार कर लिया गया था।

3. पृष्ठभूमि

3.1 लार्डिस सेवा द्वारा "एन इंट्रोडक्शन टू पार्लियमेंट ऑफ इंडिया" नामक प्रकाशन के संशोधन, अद्यतनीकरण और मुद्रण तथा इसकी अंग्रेजी संस्करण में 2000 प्रतियां और हिन्दी संस्करण में 500 प्रतियां प्राप्त करने के संबंध में एक प्रस्ताव उपस्थित किया गया था। इस प्रस्ताव में यह सुझाव भी शामिल था कि प्रत्येक पांच वर्ष बाद इसका संशोधन एवं अद्यतनीकरण कराया जाए। जब उक्त प्रस्ताव को महासचिव के समक्ष उनके अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया तो महासचिव ने यह जानना चाहा कि "ऐसे कितने प्रकाशन हैं? क्या उनके पुनर्मुद्रण के संबंध में कोई नियम/मानदंड निर्धारित किए गए हैं?"

3.2 इसके उत्तर में, लार्डिस सेवा की ओर से बात का उल्लेख किया गया कि राज्य सभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित कराए जाने वाले विभिन्न प्रकाशनों के पुनर्मुद्रण के संबंध में अपने आप में ऐसे कोई नियम/मानक तय नहीं किए गए हैं। सामान्यतः, किसी प्रकाशन को संशोधित करने का प्रस्ताव उस समय प्रस्तुत किया जाता है जब समय के साथ-साथ अनेक प्रक्रिया संबंधी तथा अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तन आते हैं और जिन्हें उस प्रकाशन में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त, जब भी ऐसे प्रकाशन की प्रतियां समाप्त हो जाती हैं तो इनमें संशोधन किया जाता है तथा इन्हें मुद्रित कराया जाता है।

3.3 महासचिव ने अतिरिक्त सचिव (मुद्रण सेवा) को यह निदेश दिया था कि वह प्रकाशनों की बहुलता के बारे में अपना सुझाव रखें। इसी परिप्रेक्ष्य में, सचिवालय द्वारा जारी किए जाने वाले प्रकाशनों की संवीक्षा करने तथा इनकी संख्या में कमी किए जाने की संभावना, यदि हो तो, के संबंध में, सिफारिश करने के लिए अधिकारियों की समिति गठित की गई थी।

4. समिति की बैठकें

4.1 समिति की पहली बैठक 24 नवम्बर, 2017 को हुई थी। इस बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया था कि समिति लार्डिस सेवा द्वारा मुद्रित रूप में प्रकाशित किए जा रहे सभी प्रकाशनों की जाचं करेगी ताकि समिति उन सभी प्रकाशनों की उपयोगिता सहित उनकी प्रतियों की आवश्यकता के संबंध में यह निर्णय ले सके कि उनमें से किन-किन प्रकाशनों को केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार किया जाए और किन-किन प्रकाशनों को बंद कर दिया जाए। तदनुसार, समिति ने लार्डिस सेवा को निदेश दिया कि वे उनके द्वारा प्रकाशित किए जा रहे सभी प्रकाशनों को समिति की बाद की बैठक में उपलब्ध कराए ताकि निर्णय लेने में सहायता मिल सके।

4.2 समिति ने 12 दिसम्बर, 2017 को हुई अपनी दूसरी बैठक में लार्डिस द्वारा प्रकाशित कराए जा रहे प्रकाशनों की सूची की जांच की तथा 'एक बार प्रकाशित होने वाले', 'विशेष अवसर पर प्रकाशित होने वाले' 'सावधिक प्रकाशित होने वाले' तथा 'संशोधन योग्य प्रकाशनों' (परिशिष्ट-1) के बारे में अपने सुझाव दिए। तत्पश्चात् इसने 244 वें सत्र के स्थगित होने पर उन प्रकाशनों के संबंध में जांच करने तथा अपनी सिफारिशें देने के लिए एक और बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया जो सचिवालय के अन्य विभिन्न अनुभागों और सेवाओं द्वारा प्रकाशित कराए जाते हैं।

4.3 समिति की तीसरी बैठक 11 जनवरी, 2018 को आयोजित की गई। समिति के विचार-विमर्शों में इसे सहायता प्रदान करने के लिए, मुद्रण और प्रकाशन सेवा ने विभिन्न अनुभागों/सेवाओं द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशनों की एक सूची का संकलन किया था। उक्त बैठक में, व्यापक विचार-विमर्श के पश्चात्, समिति ने लार्डिस के अतिरिक्त सचिवालय के अनुभागों/सेवाओं द्वारा प्रकाशित किए जा रहे विभिन्न प्रकाशनों के संबंध में अपने सुझाव/सिफारिशें दी थीं।

5. समिति की प्रमुख सिफारिशें

5.1 **ऐसे प्रकाशन जिन्हें बंद किया जा सकता है**: समिति ने इस तथ्य को नोट करते हुए कि अब तक जारी किए गए सभी 'एक बार प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशनों' (संख्या-37, परिशिष्ट-1, भाग-क) अपरिवर्तनीय निष्पन्न कार्य बन चुके हैं, जो इंगित करता है कि इन प्रकाशनों का मुद्रण/पुनर्मुद्रण तत्काल प्रभाव से बंद किया जा सकता है।

5.2 समिति यह समुक्ति करती है कि जब भी कोई सभापति अपना कार्यभार ग्रहण करता है तो 'वेलकम मिस्टर चेयरमेन, सर' के नाम से एक प्रकाशन जारी किया जाता है। समिति के संज्ञान में यह बात लाई गई कि इस एक प्रकाशन के अतिरिक्त विशेष अवसरों पर उक्त प्रकाशन का एक समेकित संस्करण भी जारी किया जाता है जिसमें आरंभ से लेकर अब तक राज्य सभा के विभिन्न सभापतियों को दी गई सभी बधाइयों को समाहित किया जाता है। समिति का यह मत है कि अकेले प्रकाशन के अलावा इस प्रकार के समेकित संस्करणों का प्रकाशन केवल काम को दोहराना है तथा इससे गुणवत्ता में कोई वृद्धि नहीं होती है। तदनुसार, यह सिफारिश करती है कि 'वेलकम, मिस्टर चेयरमेन, सर' नामक समेकित प्रकाशन को बंद किया जाए।

5.3 सामान्य संदर्भ और प्रयोग हेतु 'परिपाटी एवं प्रक्रिया श्रृंखला' तथा विषय बोध कार्यक्रम हेतु 'टेन बुकलेट सीरीज' के संबंध में, समिति महसूस करती है कि दोनों ही प्रकाशनों में लगभग एक जैसी सूचनाएं उपलब्ध हैं, यद्यपि उनके प्रारुप में भिन्नता है1 तदनुसार, यह सिफारिश की जाती है कि 'परिपाटी एवं प्रक्रिया' संबंधी प्रकाशन श्रृंखला को तत्काल बंद किया जाए।

5.4 समिति महसूस करती है कि सामान्य प्रशासन अनुभाग द्वारा जारी की जाने वाली 'अधिकारिक टेलीफोन डायरेक्टरी' जिसमें अधिकारियों/सेवाओं/अनुभागों इत्यादि के टेलीफोन नम्बर पाए जाते हैं और अपवाद स्वरूप कुछेक प्रविष्टियों को छोड़कर यही सूचना पटल कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले प्रकाशन 'सदस्यों की सूची' में भी उल्लिखित की जाती है। समिति महसूस करती है कि यह कार्य का दोहरीकरण है और तदनुसार सिफारिश करती है कि दोनों पुस्तिकाओं में दिए गए नामों तथा टेलीफोन नम्बरों की एक समेकित सूची 'सदस्यों की सूची' नामक प्रकाशन के अंतर्गत लाई जाए तथा 'अधिकारिक टेलीफोन डायरेक्टरी' का प्रकाशन तत्काल बंद कर दिया जाए।

5.5 "लाइटर मोमन्ट्स इन द राज्य सभा", "लाइटर मोमन्ट्स इन द राज्य सभा - ए सप्लीमेंट", "द हाउस लाफ्स-एन एंथोलॉजी ऑफ विट एंड ह्यूमर इन द राज्य सभा", "ह्यूमर इन द हाउसः ए ग्लिम्प्स इन्टू द इनलिवनिंग मूड्स ऑफ राज्य सभा", नामक संशोध्य प्रकाशनों के संबंध में, समिति ने 24 नवम्बर, 2017 को हुई अपनी बैठक में यह नोट किया था कि प्रकाशनों के उक्त संस्करणों को क्रमशः 1985, 1986, 1989 और 2003 में प्रकाशित कराया गया था। तत्पश्चात्, इस विषय पर कोई भी प्रकाशन जारी नहीं हुआ। तदनुसार, समिति महसूस करती है कि लार्डिस सेवा इस बारे में आवश्यकता का मूल्यांकन कर सकती है तथा महासचिव से आदेश प्राप्त कर सकती है कि क्या भविष्य में इन प्रकाशनों के अनुवर्ती संस्करण जारी किए जाएं अथवा नहीं।

5.6 **<u>वे प्रकाशन जिनका डिजिटलीकरण किया जा सकता है/जिन्हें इलेक्ट्रॉनिक संस्करण में तैयार किया जा सकता है:</u>**

गहन चर्चा के पश्चात्, समिति का यह मत है कि सभी 'एक बार प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशनों' (परिशिष्ट 1, भाग-क) का डिजिटलीकरण किया जा सकता है तथा उन्हें राज्य सभा की वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपलोड किया जा सकता है।

5.7 'विशेष अवसर संबंधी प्रकाशनों' (परिशिष्ट 1, भाग-ख) के संबंध में, समिति समुक्ति करती है कि ये प्रकाशन विशिष्ट विषयों पर लिखे ऐसे आलेख/सांख्यिकीय सूचनाएं हैं जिनका प्रकाशन महत्वपूर्ण और विशिष्ट अवसरों पर किया जाता है तथा तदनुसार, समिति महसूस करती है कि इन्हें डिजिटल रूप में सहेज कर रखा जा सकता है। भविष्य के बारे में, समिति का यह मत है कि ऐसे प्रकाशनों को मुद्रित रूप में प्रकाशित करने संबंधी निर्णय उस समय लिया जा सकता है जब भी ऐसा अवसर उत्पन्न हो।

5.8 'राज्य सभा और इसका सचिवालय-कार्य निष्पादन विवरण' जो कि एक सावधिक प्रकाशन (परिशिष्ट 1, भाग-ग) है तथा जिसमें राज्य सभा, इसकी समितियों तथा सचिवालय के कार्य निष्पादन की सूचना निहित होती है, के संबंध में, समिति महसूस करती है कि प्रकाशन अत्यंत उपयोगी है और इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार किया जाना चाहिए और इसे राज्य सभा की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

5.9 अपनी कार्यवाही के दौरान, समिति को सूचित किया गया कि प्रश्नों से संबंधित सांख्यिकीय सूचना को अब से इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपलोड किया जाएगा। समिति प्रस्तावित निर्णय पर अपनी सहमति व्यक्त करती है।

5.10 **<u>उन प्रकाशनों की संख्या, जिनकी प्रतियों की संख्या घटाई जा सकती है</u>**:

5.11 इस विषय के पक्ष और विपक्ष से जुड़े सभी पहलुओं पर समुचित चर्चा किए जाने के पश्चात्, समिति यह सिफारिश करती है कि निम्नलिखित प्रकाशनों की प्रतियों की संख्या में कमी की जा सकती है:-

i) समिति समन्वय अनुभाग द्वारा प्रकाशित की जाने वाली सांख्यिकीय सूचनाएं जिसकी प्रतियों की संख्या वर्तमान 600 प्रतियों (अंग्रेजी) तथा 200 प्रतियों (हिंदी) से कम करके क्रमशः 400 प्रतियां (अंग्रेजी) तथा 100 प्रतियां (हिंदी) की जा सकती है। इसके अतिरिक्त, उन्हें वेबसाइटों पर भी डिजिटल रूप में अपलोड किया जा सकता है।

ii) प्रत्येक बैठक के संबंध में, वाद-विवाद के मूल संस्करण जिनकी प्रतियों की संख्या वर्तमान 360 प्रतियों से कम करके 300 प्रतियां की जा सकती है।

iii) टेलीफोन टेबल चार्ट जिसकी संख्या वर्तमान 500 प्रतियों से कम करके 300 प्रतियां की जा सकती है।

iv) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में संशोधनों की सूचियां जिनकी वर्तमान संख्या 700 प्रतियों (अंग्रेजी) तथा 200 प्रतियों (हिंदी) से कम करके क्रमशः 500 प्रतियां (अंग्रेजी) तथा 150 प्रतियां (हिंदी) की जा सकती है।

5.12 तारांकित एवं अतारांकित दोनों प्रकार के प्रश्नों की सूचना हेतु विहित प्रपत्रों के संबंध में, समिति को यह सूचित किया गया था कि सचूना प्रपत्रों की प्रतियों की संख्या को 1,25,000 से घटाकर 1,10,000 कर दिया गया है। इसके अलावा यह भी सूचित किया गया कि क्रमांक तथा मुद्रण वर्ष अंकित किए बिना इन प्रश्नों की सूचना संबंधी प्रपत्रों की छपाई का एक प्रस्ताव रखा गया है, ताकि इन्हें अनुपयोगी तथा व्यर्थ होने से बचाया जा सके और आगामी वर्षों में प्रयोग में लाया जा सके। समिति महसूस करती है कि इससे कागजों के प्रयोग को घटाने में बहुत मदद मिलेगी तथा समिति इसका सर्वसम्मति से समर्थन करती है।

5.13 **<u>वे प्रकाशन, जिन्हें कायम रखा जा सकता है</u>**:

5.14 "राज्य सभा : सदस्य परिचय" और "टेन बुकलेट सीरीज" नामक प्रकाशनों के संबंध में, समिति का यह मत है कि इन्हें प्रत्येक दो वर्षों के पश्चात् मुद्रित कराने की वर्तमान परिपाटी को जारी रखा जाए क्योंकि पहले प्रकाशन में सभी सदस्यों का जीवन-वृत उपलब्ध है तथा प्रत्येक दो वर्षों के पश्चात् राज्य सभा के द्विवार्षिक चुनावों का आयोजन होता है, जबकि दूसरा प्रकाशन इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि यह द्विवार्षिक चुनावों के पश्चात् नए सदस्यों हेतु आयोजित विषय-बोध कार्यक्रम के दौरान, सदस्यों के लाभार्थ महत्वपूर्ण संसदीय परिपाटी एवं प्रक्रिया के संबंध में अत्यंत व्यापक तथा उपयोगी है।

5.15 "सभापीठ द्वारा दिए गए निर्णय और समुक्तियां" नामक प्रकाशन के संबंध में, समिति यचह समुक्ति करती है कि इसमें संवैधानिक तथा प्रक्रियागत विषयों के संबंध में, राज्य सभा के पीठासीन अधिकारियें द्वारा दिए विनिर्णय तथा समुक्तियां शामिल हैं और जिनका संदर्भ की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। अतः, यह सिफारिश करती है कि इस प्रकाशन को पांच वर्ष के अंतराल पर जारी किया जाए।

5.16 इस बात को ध्यान में रखते हुए कि "भारतीय संसद: एक परिचय" तथा "कार्यरत राज्य सभा" नामक दोनों ही प्रकाशन उपयोगी हैं और राज्य सभा के कार्यकरण से संबंधित प्रक्रियाओं और परिपाटियों के संबंध में सूचना का भंडार हैं, समिति यह सिफारिश करती है कि इनका प्रकाशन नियमित अंतराल पर कराया जाए।

5.17 "राज्य सभा सदस्यों के जीवन परिचय" नामक प्रकाशन के संबंध में, समिति यह समुक्ति करती है कि इस प्रकाशन का संदर्भ की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है और इसमें वर्ष 1952 से लेकर अब तक सभी सदस्यों के संक्षिप्त जीवन परिचय दिए गए हैं। समिति यह सिफारिश करती है कि लार्डिस द्वारा समय-समय पर इस प्रकाशन को जारी किया जाना चाहिए।

5.18 समिति यह महसूस करती है कि बिलों, चुनावों हेतु मतपत्रों, वाद-विवाद की विषय सूचियों, हिन्दी वाद-विवादों, राज्य सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन विषयक नियमों, सदस्यों के लिए पुस्तिका, 'राज्य सभा सचिवालय-एक सिंहावलोकन', नए सदस्यों के लिए विषय-बोध कार्यक्रम की कार्यवाही इत्यादि के मुद्रण के संबंध में यथास्थिति को बनाए रखा जाना चाहिए।
इसने यह भी सुझाव दिया है कि "नूतन प्रतिबिम्ब", हिन्दी पखवाड़े के प्रमाण-पत्रों, डेस्क कलेंडरों इत्यादि के प्रकाशन के संबंध में वर्तमान परिपाटी को जारी रखा जाए।

5.19 प्रत्येक प्रकाशन/प्रपत्र इत्यादि के संबंध में, समिति द्वारा की गई सिफारिशों/सुझावों का ब्यौरा परिशिष्ट 1 और 2 में दिया गया है।

5.20 संक्षेप में, समिति द्वारा की गई सिफारिशों का सार सांख्यिकीय आंकड़ों की दृष्टि से निम्न प्रकार है:-

1.	उन प्रकाशनों की संख्या, जिन्हें बंद किया जा सकता है	- 41, जिनमें 37 "एक बार जारी होने वाले प्रकाशन" सम्मिलित है (परिशिष्ट 4)
2.	उन प्रकाशनों की संख्या जिनका डिजिटलीकरण किया जा सकता है/ इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार किया जा सकता है।	- 53, सभी "एक बार जारी होने वाले प्रकाशनों" तथा "विशेष अवसरों पर जारी प्रकाशनों" सहित (परिशिष्ट 5)

3. मुद्रित प्रकाशनों/प्रपत्रों इत्यादि की संख्या, - 5
जिनकी प्रतियों की संख्या में कमी की जा
सकती है (परिशिष्ट 6)

4. मुद्रित प्रकाशनों की संख्या जिन्हें कायम रखा - 52
जा सकता है (परिशिष्ट 7)

ह/-
(मुकुल पांडे)
अपर सचिव (एल.)

ह/-
(एम.के. खान)
संयुक्त सचिव (क्यू)

ह/-
(जे.जी. नेगी)
संयुक्त सचिव (पी. एंड पी.)

ह/-
(एस.डी. नौटियाल)
संयुक्त सचिव (एल. आर.)

ह/-
(जे. सुन्द्रियाल)
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार

13 **फरवरी**, 2018
नई दिल्ली

ह/-
(शशिलेखा नायर)
निदेशक(जी) एवं सदस्य सचिव

लार्डिस द्वारा जारी किए गए प्रकाशनों की सूची				
प्रकाशनों का नाम				
	एक बार प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशन	**अभियुक्तियां**	**संस्करण**	**समिति की सिफारिशें/सुझाव**
1.	द सैकेंड चैम्बर : इट्स रोल इन मॉडर्न लैजिस्लेचर - द ट्वेंटी फाइव यीयर्स ऑफ राज्य सभा (1977)		अंग्रेजी	मुद्रित प्रतियां प्रकाशित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका डिजिटलीकरण किया जा सकता है और राज्य सभा की वेबसाइटों पर अपलोड किया जा सकता है।
2.	सैकेंड चैम्बर्स - बाइकेमरेलिज़म टुडे (अप्रैल, 2002)	राज्य सभा की भूमिका, स्थिति और कार्यकरण से संबंधित लेखों का संकलन, विश्व के विभिन्न भागों में द्वितीय सदन।	अंग्रेजी	-तदेव-
3.	इमरजेंस ऑफ सैकेंड चैम्बर इन इंडिया (जून, 2002)	राज्य सभा के पचास वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारत में द्वितीय सदन के उदभव और विकास के महत्वपूर्ण चरणों पर प्रकाश डालती है।	अंग्रेजी	-तदेव-
4.	भारत में द्वितीय सदन : राज्य सभा की भूमिका और स्थिति (अगस्त, 2009)		अंग्रेजी और हिंदी	-तदेव-
5.	रोल एंड रेलिवेंस ऑफ राज्य सभा इन इंडियन पोलिटी (2004)	14 दिसम्बर, 2003 को राज्य सभा के 200वें सत्र के अवसर पर आयोजित संगोष्ठी की कार्यवाही	अंग्रेजी	-तदेव-
6.	सेलेबरेटिंग राज्य सभा - द 200th सेशन (2005)	इस कॉफी टेबल पुस्तिका में राज्य सभा के संबंध में एक विस्तृत आलेख	अंग्रेजी	-तदेव-

		तथा 200वें सत्र के उपलक्ष्य में समारोह के दौरान आयोजित कार्यक्रमों, प्रकार्यों तथा उत्सव संबंधी गतिविधियों का ब्यौरा		
7.	प्रैक्सिस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट : नोट्स ऑन प्रोसीजर्स इन द कांउसिल ऑफ स्टेट्स (2011)	कार्यालयी उपयोग हेतु	अंग्रेजी	-तदेव-
8.	प्रैक्सिस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट: नोट्स ऑन प्रोसीजर्स ऑफ द कांउसिल सक्रेटेरीएट (सितम्बर 2011)	कार्यालयी उपयोग हेतु	अंग्रेजी	-तदेव-
9.	राज्य सभा में विभिन्न प्रकार के वाद-विवादों के संबंध में चर्चा आरंभ करना (अप्रैल 2012)		अंग्रेजी और हिंदी	-तदेव-
10.	राज्य सभा सचिवालय की संरचना एवं प्रकार्य (जून 2009)		अंग्रेजी और हिंदी	-तदेव-
11.	डा. एस. राधाकृष्णन : ए कमेमोरेटिव वॉल्यूम (अगस्त 1988)		अंग्रेजी	-तदेव-
12.	एजूकेशन एंड सोशल चेंज (सितम्बर 1988)	डा. एस. राधाकृष्णन शताब्दी समारोह के अंग के रूप में शिक्षा एवं सामाजिक परिवर्तन विषय पर आयोजित संगोष्ठी की कार्यवाही	अंग्रेजी	-तदेव-
13.	जवाहरलाल नेहरु एंड राज्य सभा (नवम्बर, 1989)		अंग्रेजी	-तदेव-
14.	डा. बी.आर. अम्बेडकर - द मैन एंड हिज मैसेज (अप्रैल, 1991)		अंग्रेजी	-तदेव-
15.	राज्य सभा पेज़ होमेज़ टू राजीव गांधी (1991)		अंग्रेजी	-तदेव-
16.	एस. कृष्णकांत - सलेक्ट स्पीचीस, रुलिंग्स एंड ऑब्र्सवेशंस (अगस्त, 2002)		अंग्रेजी	-तदेव-
17.	*राज्य सभा में राष्ट्रकवि मैथलिशरण गुप्त* (2005)		हिंदी	-तदेव-
18.	विधायी निकायों में महिलाओं हेतु सीटों का आरक्षण: दृष्टिकोण (जुलाई, 2008)	विशिष्ट अवसरों पर प्रकाशित पत्र	अंग्रेजी और हिंदी	-तदेव-

19.	जलवायु परिवर्तन : भारत में सतत् विकास की चुनौतियां (अक्तूबर, 2008)			-तदेव-
20.	वैश्विक आर्थिक संकट : भारत पर प्रभाव (जून, 2009)			-तदेव-
21.	आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें : भारत के संबंध में मुद्दे एवं चुनौतियां (दिसम्बर, 2009)			-तदेव-
22.	भारत में गरीबी के संबंध में बदलते आकलन : कतिपय नवीनतम घटनाक्रम (जनवरी, 2010)			-तदेव-
23.	संसदीय बजट के अनुमोदन हेतु अंतर्राष्ट्रीय परिपाटियां (अगस्त, 2010)			-तदेव-
24.	'ई-वेस्ट' इन इंडिया (जून, 2011)		अंग्रेजी	-तदेव-
25(i)	डा. एस. राधाकृष्णन पीठ तथा संसदीय अध्ययन के संबंध में राज्य सभा अध्येतावृत्तियां (2009)		अंग्रेजी और हिंदी	-तदेव-
25(ii)	डा. एस. राधाकृष्णन पीठ तथा राज्य सभा अध्येतावृत्तियों (फैलोशिप्स) हेतु योजना (2014) (संशोधित)			-तदेव-
26.	विधायिका एवं न्यायपालिका : संसदीय एवं राज्य विधायिकाओं के संबंध में न्यायिक घोषणाएं (2011)		अंग्रेजी और हिंदी	-तदेव-
27.	पार्लियमेंट्री प्रेक्टिसिस : सक्रेटरी जनरल, राज्य सभा एट कांफ्रेंसिज, 2002-2011 (2011)		अंग्रेजी	-तदेव-
28.	मोशन फॉर रिमूवल और मिस्टर जस्टिस सौमित्र सेन, जज, कलकत्ता हाई कोर्ट (विद सीडी एंड डीवीडी)(अक्तूबर, 2011)		अंग्रेजी	-तदेव-
29.	इंस्ट्रक्शंस एंड ऑबजर्वेशंस ऑफ सेक्रेटरी जनरल, 2007-2011 (अपडेटिड एज ऑन 7/12/2011) (2011)		अंग्रेजी	-तदेव-
30.	सेक्रेटरी जनरल : ए वर्क प्रोफाइल - (जुलाई, 2012)		अंग्रेजी	-तदेव-
31.	नोट्स ऑन प्रोसीजर्स : जजिस इन्कवायरी कमेटी (मई, 2012)		अंग्रेजी	-तदेव-
32.	संसदीय अधिनियमनों का संकलन : लोकपाल और		अंग्रेजी और	-तदेव-

	लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (जुलाई, 2015)		हिंदी	
33.	संसदीय अधिनियमनों का संकलन : कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उतपीड़न (निवारण, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2015)		अंग्रेजी और हिंदी	-तदेव-
34.	संसदीय विनियमों का संकलन : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013		अंग्रेजी और हिंदी	-तदेव-
35.	प्रेसीडेंटस अड्रेस एंड द मोशन ऑफ थेंक्स - 2013(2015)		अंग्रेजी	-तदेव-
36.	राज्य सभा सचिवालय के प्रकाशनों की दिग्दर्शिका (मई, 2009)	इसमें राज्य सभा सचिवालय के विभिन्न अनुभागों द्वारा जारी किए गए प्रकाशनों की सूची निहित है।	अंग्रेजी और हिंदी	-तदेव-
37.	संसद के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न-राज्य सभा के विशेष संदर्भ में (2016)		अंग्रेजी और हिंदी	-तदेव-

विशेष अवसरों पर लाए गए प्रकाशन		**टिप्पणियां**	**रुपांतर**	**समिति की सिफारिशों/सुझाव**
1.	वेलकम मिस्टर चेयरमेन, सर (1992, 1997, 2003, 2007, 2013 और 2017)	राज्य सभा में नव निर्वाचित सभापति को पीठासीन अधिकारी का पदभार ग्रहण के अवसर पर दी गई बधाई		समिति समुक्ति करती है कि जब भी नए सभापति पदभार ग्रहण करें "वेलकम मिस्टर चेयरमेन, सर" प्रकाशित किया जाए।
2.	वेलकम ऑनरेबल चेयरमेन (जनवरी, 1996) राज्य सभा में 1952 से 1996 तक सभापीठ पर आसीन होने वाले सभापतियों को दी गई बधाई	राज्य सभा में नवनिर्वाचित सभापति को पीठासीन अधिकारी का पदभार ग्रहण करने के अवसर पर दी गई बधाई		समेकित रुपांकर का अब से प्रकाशन न किया जाए।
3.	माननीय सभापति का स्वागत (2012)	समेकित प्रकाशन (1952 से 2012) संसद के 60 वर्ष पूरे होने पर जारी किया गया।	हिन्दी और अंग्रेजी	-तदेव-
4(i).	राज्य सभा के नाम-निर्देशित सदस्य (जनवरी 2003)	(संसद के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जारी किया गया)	अंग्रेजी और हिन्दी	समिति महसूस करती है कि इन्हें डिजिटाइज़्ड रूप में रखा जाए। समिति यह भी महसूस करती है कि भविष्य में इस प्रकार के विशेष अवसरों पर विशेष प्रकाशन लाने पर निर्णय तभी लिया जाए जब ऐसे अवसर आ जाएं।
4(ii).	राज्य सभा के नाम-निर्देशित सदस्य [1952-2012] (2012)	(संसद के 60 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जारी किया गया)		-तदेव-
5(i).	राज्य सभा के पचास वर्ष 1952-2012 (2003)	(संसद के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जारी किया गया)		-तदेव-
5(ii).	राज्य सभा के साठ वर्ष 1952-2012 (2012)	(संसद के 60 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जारी किया गया)		-तदेव-
6(i).	राज्य सभा का कम्प्यूटरीकरण-एक सिंहावलोकन (2003)	(संसद के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जारी किया गया)		-तदेव-
6(ii).	राज्य सभा का कम्प्यूटरीकरण-एक	(संसद के 60 वर्ष पूर्ण होने के अवसर		-तदेव-

	सिंहावलोकन (2012)	पर जारी किया गया)		
7.	अनुशासन, शिष्टता और संसद की गरिमा (जनवरी, 2003)	(संसद के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जारी किया गया)		-तदेव-
8.	राज्य सभा में समिति व्यवस्था - एक सिंहावलोकन (जनवरी, 2003)			-तदेव-
9.	राज्य सभा आचार समिति (जनवरी, 2003)			-तदेव-
10.	राज्य सभा के सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति [1952-2002] (2003)	राज्य सभा के 200वें सत्र के अवसर पर जारी किया गया		-तदेव-
11.	वूमन मैंबर्स ऑफ राज्य सभा (दिसंबर, 2003)	राज्य सभा के 200वें सत्र के अवसर पर जारी किया गया	अंग्रेजी	-तदेव-
12.	संविधान सभा की महिला सदस्यों के चुनिंदा भाषण (2012)	(संसद के 60 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर जारी किया गया)	अंग्रेजी और हिन्दी	-तदेव-
13.	सिक्सटी ईयर्स जर्नी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट (2016)	भारतीय संसद के 60 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर सदस्यों द्वारा लिखे गए / संदेश शामिल हैं।	अंग्रेजी	-तदेव-

आवधिक प्रकाशन		**टिप्पणियां**	**रुपांतर**	**समिति की सिफारिशें/सुझाव**
1.	राज्य सभा और इसका सचिवालय- एक निष्पादन प्रालेख (1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) (मुद्रणाधीन)	इसमें राज्य सभा, इसकी समितियों और राज्य सभा सचिवालय द्वारा एक वर्ष के दौरान किए गए कार्यों के बारे में जानकारी है।	अंग्रेजी और हिन्दी	इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार किया जाए और राज्य सभा की वेबसाइट पर डाला जाए।
2.	राज्य सभा सदस्य परिचय (1996, 1998, 2000, 2002, 2004, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016) (मुद्रणाधीन) (द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित)	राज्य सभा के सदस्यों के जीवन-वृत्त का संकलन	अंग्रेजी और हिन्दी	उन्हें द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित किए जाने की वर्तमान पद्धति जारी रखी जाए।
3.	10 पुस्तिका श्रृंखलाएं			द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित कराई जाए।
(i)	एक नजर में सूचना	ग्रंथालय, संदर्भ, शोध, प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) द्वारा द्विभाषिक रूप से द्विवार्षिक आधार पर तैयार/संकलित और प्रशिक्षण प्रकोष्ठ द्वारा वितरित	अंग्रेजी और हिन्दी	-तदेव-
(ii)	राज्य सभा-भारतीय राजनीति में इसका योगदान			-तदेव-
(iii)	विधि निर्माण प्रक्रिया			-तदेव-
(iv)	राज्य सभा में समिति व्यवस्था			-तदेव-
(v)	संसदीय विशेषाधिकार			-तदेव-
(vi)	सदस्य-क्या करें और क्या न करें			-तदेव-
(vii)	सभा के नेता, विपक्ष के नेता और सचेतकों की भूमिका			-तदेव-
(viii)	कार्यकारिणी-संसद के प्रति इसकी जवाबदेही			-तदेव-
(ix)	विधायकों के लिए सूचना प्रबंधन एक पृष्ठभूमि टिप्पण			-तदेव-
(x)	कैसे प्रभावी विधायक बने			-तदेव-

संशोधनीय प्रकाशन		**टिप्पणियां**	**रुपांतर**	**समिति की समुक्तियां**
1(i) 1(ii) 1(iii) 1(iv)	लाइटर मूमैंट्स इन द राज्य सभा (1985) लाइटर मूमैंट्स इन द राज्य सभा- अ सप्लीमेंट (1986) द हाऊस लाफ्स - एन एंथोलॉजी ऑफ विट एंड ह्यूमर इन द राज्य सभा (सितम्बर 1989) ह्यूमर इन द हाऊसः अ गलिंप्स इनटू द एनलाइवनिंग मूड्स ऑफ राज्य सभा (दिसंबर, 2003)		अंग्रेजी	"लार्डिस" महासचिव से आदेश प्राप्त करे कि क्या भविष्य में यह प्रकाशित होगी अथवा इसे प्रकाशित न किया जाए।
2(i) 2(ii)	सभापीठ के निर्णय और टिप्पणियां (1952-2000) (जुलाई 2001) सभापति के विनिर्णय और टिप्पणियां (1952-2008), 2009	इसमें अनेक संवैधानिक और प्रक्रियात्मक मामलें के संबंध में राज्य सभा के पीठासीन अधिकारियों द्वारा दिए गए चुनिंदा विनिर्णय और टिप्पणियां अंतर्विष्ट हैं	अंग्रेजी और हिंदी	पांच वर्षों के अन्तराल पर नियमित रूप से प्रकाशित किया जाए।
3.	भारत की संसद का एक परिचय (1993, 1995, 2002 और 2007)		अंग्रेजी और हिंदी	इसे नियमित अन्तरालों पर प्रकाशित किया जाए।
4.	कार्यरत राज्य सभा (1996, 2006, 2017)	इसमें परिपाटी, पूर्व-उदाहरणों परंपराओं, अभिसमयों और सभापति द्वारा समय-समय पर दिए गए विनिर्णयों के संदर्भ में राज्य सभा के नियमों और प्रक्रियाओं का व्यापक वर्णन है।	अंग्रेजी और हिंदी	इसे नियमित अन्तरालों पर प्रकाशित किया जाए।
5.	राज्य सभा परिपाटी और प्रक्रिया श्रृंखला (1999, 2005)	इसमें राज्य सभा की परिपाटियों और प्रक्रियाओं का संक्षिप्त वर्णन है।	अंग्रेजी और हिंदी	अब से इसका प्रकाशन न किया जाए।

6(i).	राज्य सभा मैम्बर्स बायोग्राफिकल स्कैचिस 1952-1990 (1991 में प्रकाशित)	इसमें राज्य सभा के सदस्यों का संक्षिप्त जीवन वृत्त अंतर्विष्ट है।	अंग्रेजी	अपेक्षित समयावधिक के अन्तराल पर निर्णय लिए जाने के पश्चात् इसे 'लार्डिस' द्वारा आवधिक रूप से प्रकाशित किया जाए।
6(ii).	राज्य सभा सदस्यों के जीवन परिचय 1952-2003 (2004 में प्रकाशित)		अंग्रेजी और हिंदी	

लार्डिस के अतिरिक्त अन्य अनुभागों/सेवाओं द्वारा प्रकाशित पत्रों और प्रकाशनों की सूची

क्रम सं.	**अनुभाग का नाम**	**प्रकाशित किया जा रहा प्रकाशन**	**प्रचलित परिपाटी**	**समिति की सिफारिश / सुझाव**
1.	बिल ऑफिस	क) विधेयक	आवश्यकतानुसार प्रतियों की संख्या	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाई रखी जाए।
		ख) राजपत्रित अधिसूचना	भारत सरकार की प्रेस में अपलोड करने के लिए सॉफ्ट कॉपी भेज दी जाती है।	समिति ने समुक्ति की कि अब राजपत्रित अधिसूचनाएं पहले की तरह मुद्रित नहीं की जाती है और उन्हें राज्य सभा की वेबसाइट पर डाल दिया जाता है। इसने महसूस किया कि वर्तमान व्यवस्था को जारी रखा जाए।
2.	समिति समन्वयन अनुभाग	क) निर्वाचन हेतु बैलट पत्र	आवश्यकतानुसार प्रतियों की संख्या	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।
		ख) सांख्यिकी सूचना	600 अंग्रेजी रुपांतर 200 हिंदी रुपांतर	समिति ने महसूस किया कि मुद्रित प्रतियों की संख्या घटाकर 400 (अंग्रेजी) और 100 (हिंदी) की जा सकती है। यह भी सुझाव दिया कि इन्हें वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है।
3.	अंग्रेजी संपादन	क) अनुक्रमणिका	प्रत्येक सत्र की 250 प्रतियां	संयुक्त सचिव (संपादन एवं अनुवाद) से पता चला कि ये प्रतियां मानक मेलिंग सूची के अनुसार सभी सदस्यों

				को भेजी जा रही हैं, अतः प्रतियों की संख्या घटाना संभव नहीं होगा। समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाई रखी जाए। समिति ने विस्तृत चर्चा के पश्चात् यह महसूस किया कि प्रतियों की संख्या घटाकर 300 प्रति बैठक की जा सकती हैं।
		ख) वाद विवाद का मूल संस्करण	प्रत्येक बैठक के लिए 360	
4.	आचार समिति	क) फार्म	आवश्यकतानुसार प्रतियों की संख्या	
		ख) राज्य सभा सदस्य -आस्तियों और देयताओं की घोषणा नियम	300	समिति का विचार था कि यथास्थिति बनाई रखी जाए।
		ग) राज्य सभा सदस्य - हित की घोषणा नियम	300	
		घ) आचार-संहिता - संबंधित पुस्तिका	300	
5.	सामान्य प्रशासन अनुभाग	क) अधिकारिक दूरभाष डायरेक्टरी	700	समिति का विचार था कि कुछ सदस्यों के नामों को छोड़कर अधिकांश सदस्यों की दूरभाष संख्याएं जो इस डायरेक्टरी में उपलब्ध हैं, वे संख्याएं 'सदस्यों की सूची' प्रकाशन में भी उपलब्ध हैं। तदनुसार, समिति ने सुझाव दिया कि जो दूरभाष संख्याएं 'सदस्यों की सूची' में उपलब्ध नहीं हैं और जिनका अधिकारिक दूरभाष डायरेक्टरी में

				उल्लेख है, उन्हें 'सदस्यों की सूची' में शामिल किया जाए और अधिकारिक दूरभाष डायरेक्टरी हटा दी जाए।
		ख) प्रशंसनीय कार्य पुरस्कार प्रदान करने के लिए प्रमाणपत्र	100	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखा जाए।
		ग) दूरभाष टेबल चार्ट	500	समिति ने महसूस किया कि प्रतियों की संख्या घटाकर 300 की जाए।
6.	हिंदी संपादन	क) हिंदी वाद-विवाद	प्रत्येक बैठक के लिए 35	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाई रखी जाए।
		ख) संसदीय शब्दावली	आवश्यकतानुसार प्रतियों की संख्या	समिति ने समुक्ति की कि यह प्रकाशन सचिवालय के आंतरिक उपयोग के लिए है। इसने यह भी नोट किया कि प्रकाशन को वेबसाइट पर डाला गया है। तथापि, संयुक्त सचिव (संपादन एवं अनुवाद) की राय के अनुसार कि यह प्रकाशन बहुत लाभदायक है इसमें विभिन्न पारिभाषिक शब्दों की शब्दावलियां शामिल हैं जिनका राज्य सभा में उपयोग होता है। इसलिए इसकी हार्ड प्रतियां माननीय सभापति, उप सभापति और उप निदेशक से लेकर सभी अनुभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को

				परिचालित किए जाने की आवश्यकता है। अतः इनकी प्रतियों की संख्या को 500 से बढ़ाकर 700 किया जाए। समिति ने विस्तृत विश्लेषण के पश्चात् यह महसूस किया कि प्रतियों की संख्या बढ़ाने का कोई युक्त युक्त कारण नहीं है और यह सिफारिश की कि प्रतियों की मौजूदा 500 संख्या को जारी रखा जाए।
7.	सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग	क) राज्य सभा सचिवालय की सूचना प्रौद्योगिकी योजना ख) राज्य सभा के सदस्यों के कंप्यूटर उपस्कर का प्रावधान करने संबंधी पुस्तिका	200 200	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाई रखी जाए। समिति ने सिफारिश की कि जब स्टॉक समाप्त हो जाए तो संबंधित अनुभाग वास्तविक आकलन करे और आवश्यकतानुसार प्रतियां मुद्रित कराए।
8.	लॉबी कार्यालय	क) जर्नल ख) डिविजन पर्चियां	60 आवश्यकतानुसार प्रतियों की संख्या	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाई रखी जाए। समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाई रखी जाए।
9.	विधायी अनुभाग	क) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियम	1000 अंग्रेजी 500 हिंदी	समिति को बताया गया कि इस प्रकाशन के नौवें संस्करण का मुद्रण 2016 में हुआ था। अंग्रेजी में 500 प्रतियां और हिंदी में 200 प्रतियां

				मुद्रित कराई गईं थीं। इस प्रकाशन की पर्याप्त प्रतियां भविष्य में इस्तेमाल के लिए शेष बच गईं। समिति की राय थी कि जब भी नए संस्करण के अगले संस्करण के मुद्रण की आवश्यकता महसूस की जाती है, अनुभाग आवश्यकता की वास्तविक स्थिति का आकलन करें और सक्षम प्राधिकारी से आदेश प्राप्त करे।
		ख) सदस्यों के लिए विवरण पुस्तिका	आवश्यकतानुसार प्रतियों की संख्या	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाई रखी जाए।
		ग) राजपत्रित अधिसूचना	भारत सरकार मुद्रणालय को सॉफ्ट कॉपी अपलोड करने के लिए भेज दी गई है।	समिति ने नोट किया कि राजपत्रित अधिसूचना मुद्रित नहीं की जाती है परन्तु उन्हें वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाई रखी जाए।
		घ)राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव में संशोधन की सूचनाएं	700 अंग्रेजी 200 हिंदी	समिति का विचार था कि 500 प्रतियां अंग्रेजी में और 150 प्रतियां हिंदी में मुद्रित कराई जाएं जोकि मानक आवश्यकता है। इसने यह निदेश भी दिया कि मुद्रण अनुभाग विधायी अनुभाग को सूचनाओं की सॉफ्ट प्रतियां उपलब्ध कराए।
		ड.) विभिन्न प्रपत्र	प्रतियों की संख्या आवश्यकतानुसार	समिति समुक्ति करती है

				कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, संकल्प, अल्प-कालिक चर्चा, विशेष उल्लेख आदि जैसी विभिन्न संसदीय प्रक्रियाओं को आवश्यकतानुसार मुद्रित किया जाए।
10.	कार्मिक अनुभाग	(क)राज्य सभा सचिवालय-एक सिंहावलोकन (ख) राजपत्रित अधिसूचनाएं (ग)सत्यापन प्रपत्र आदि जैसे अन्य प्रपत्र	200 अपलोड करने के लिए भारत सरकार के मुद्रणालय को सॉफ्ट कॉपी भेजी जाती है। प्रतियों की संख्या आवश्यकतानुसार।	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए। राजपत्रित अधिसूचनाओ के संबंध में समिति ने नोट किया कि अब इसे मुद्रित नहीं किया जाता है और इसे केवल वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। समिति ने नोट किया कि वर्तमान परिपाटी जारी रखी जाए।
11.	संसद सदस्य सुविधा अनुभाग	(क) राज्य सभा के सदस्यों के लिए आवास और अन्य सुविधाओं के संबंध में पुस्तिकाएं (ख) प्रपत्र और पंजिकाएं	200 अंग्रेजी तथा 200 हिंदी प्रतियों की संख्या आश्यकतानुसार	समिति ने महसूस किया कि अनुभाग कि वास्तविक आवश्यकता का आकलन किया जाए और तत्पश्चात् उतनी प्रतियां मुद्रित कराई जाएं। समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।
12.	सूचना कार्यालय	(क) वार्षिक पार्किंग लेबल (ख) पहचान पत्र और प्रवेश अनुमति पत्र	2650 प्रतियों की संख्या आवश्यकतानुसार	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।
13.	संगठन और पद्धति अनुभाग	(क) कार्यालय प्रक्रिया अनुभागीय नियम पुस्तिका	100 अंग्रेजी 50 हिंदी	समिति ने नोट किया कि यह एक बारगी प्रकाशन है। कार्यालय प्रक्रिया

		(ख) कार्यालय प्रक्रिया नियम पुस्तिका	500 अंग्रेजी 100 हिंदी	नियम पुस्तिका पहले 2000 में और फिर 2010 में प्रकाशित हुई थी। समिति ने सिफारिश की कि अगली बार मुद्रण का आदेश देने से पूर्व संबंधित अनुभाग द्वारा आकलन किया जाए।
14.	वेतन तथा लेखा कार्यालय	(क) पंजिकाएं (ख) पेंशन अदायगी आदेश पुस्तिका	प्रतियों की संख्या आवश्यकतानुसार 500	समिति ने सिफारिश की कि अनुभाग द्वारा वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए और तत्पश्चात् ही मुद्रण का आदेश दिया जाए।
15.	संसद सुरक्षा सेवा	(क) विभिन्न पंजिकाएं (ख)नैमित्तिक प्रवेश अनुमति पत्र (ग) सीपीआईसी अनुमति पत्र	प्रतियों की संख्या आवश्यकतानुसार 25000 प्रतियों की संख्या आवश्यकतानुसार	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।
16.	राजभाषा प्रभाग	(क) नूतन प्रतिबिंब (ख) हिंदी पखवाड़ा प्रमाण पत्र	1200 90	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।
17.	भण्डार अनुभाग	(क) डेस्क कलैण्डर (ख) पंजिकाएं	6000 प्रतियों की संख्या आवश्यकतानुसार	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।
18.	सारांश अनुभाग	(क) सारांश की विषयवस्तु (सत्रात्मक पत्र)	10 अंग्रेजी में और 10 हिंदी में	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।
19.	विक्रय और अभिलेखागार अनुभाग	(क)वाद-विवाद की विषय वस्तु (ख) प्रकाशनों की सूची	प्रतियों की संख्या आवश्यकतानुसार 25	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।

20.	प्रश्न शाखा	(क) तारांकित प्रश्नों, अतारांकित प्रश्नों, अल्प सूचना, आधे घंटे की चर्चा के प्रपत्र	1,25,000	समिति को बताया गया कि प्रश्नों की सूचना के प्रपत्रों की संख्या घटाकर अब 1,10,000 कर दी गई है क्योंकि अप्रयुक्त सूचनाओं की बहुत अधिक बर्बादी होती है। प्रश्नों की सूचनाओं को क्रम संख्या के बिना और प्रकाशन वर्ष के बिना मुद्रित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है, ताकि इनका उपयोग आगामी वर्षों में भी किया जा सके। समिति ने महसूस किया कि उपर्युक्त प्रस्ताव से बर्बादी को घटाने में बहुत सहायता मिलेगी तदनुसार, प्रस्ताव का समर्थन किया।
		(ख) प्रश्नों के संबंध में सांख्यिकी सूचना	प्रतियों की संख्या आवश्यकतानुसार	समिति को बताया गया कि इसके मुद्रण को रोकने और सांख्यिकी सूचना को डिज़िटल रूप में अपलोड करने का प्रस्ताव किया गया है। समिति प्रस्ताव से सहमत हुई क्योंकि इससे कागजों की खपत में कटौती होगी।
21.	संसद सदस्य वेतन और भत्ता शाखा	(क) प्रपत्र और पंजिकाएं	प्रतियों की संख्या आवश्यकतानुसार	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।
		(ख) संसद सदस्यों और उनके पति/पत्नी के लिए पहचान-पत्र	300	

		(ग) संसद सदस्यों और उनके पति/पत्नी के लिए रेलवे पास (घ) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954. (ड.) (i) विपक्ष के नेता (ii) नेताओं और मुख्य सचेतकों (iii) उप-राष्ट्रपति के वेतन, पेंशन भत्ते, अधिनियम	300 300 300	
22.	पुस्तकालय, संदर्भ, अनुसंधान प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) मीडिया शिक्षा और श्रव्य-दृश्य एकक	(क) वार्षिक और सत्रावधि पार्किंग लेबल	500	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।
23.	पटल कार्यालय	(क) सदस्यों की सूची (ख) राज्य सभा द्वारा किए गए कार्य का विवरण (ग) विभाजन संख्या सूची (घ) राष्ट्रपति का निर्वाचन पुस्तिका (ड.) उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पुस्तिका	1800 प्रत्येक सत्र के लिए 325 प्रत्येक सत्र के लिए 50 500 90	 समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए। समिति ने नोट किया कि इसे पांच वर्ष में एक बार मुद्रित किया जाता है जब भी अपेक्षित हो अनुभाग द्वारा वास्तिविक आकलन किया जाए और तदनुसार आदेश दिया जाए।

		(च) राज्य सभा सदस्यों के लिए सामान्य सूचना	250	समिति का विचार था कि यह बहुत महत्वपूर्ण पुस्तिका है और आवश्यकतानुसार इसका मुद्रण कराया जाए।
		(छ) राजपत्रित अधिसूचनाएं (सत्र बुलाना और सत्रावसान करना)	भारत सरकार को अपलोड करने के लिए सॉफ्ट प्रति भेजी जाती है।	समिति ने नोट किया कि अब इनका मुद्रण नहीं किया जाता है परन्तु इन्हें डिजिटल रूप में अपलोड किया जाता है। समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।
		(ज) आमंत्रण	प्रत्येक सत्र के लिए 700	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।
		(झ) अस्थायी कैलेण्डर	प्रत्येक सत्र के लिए 1000	समिति को बताया गया कि चूंकि यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है इसलिए प्रतियों की संख्या घटाकर 700 कर दी गई है। समिति इस संख्या के साथ सहमत हो गई।
		(ञ) कार्यवलि	प्रत्येक बैठक के लिए 1200 अंग्रेजी में 450 हिंदी में	
		(ट) संसदीय समाचार भाग-I	प्रत्येक बैठक के लिए 700 अंग्रेजी में, 350 हिंदी में	यह सूचित किया गया कि पटल कार्यालय मुद्रण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करता है परन्तु प्रतियों की संख्या वितरण विभाग द्वारा मेलिंग सूची के अनुसार निर्धारित की जाती हैं।
		संसदीय समाचार भाग-2	लगभग प्रत्येक दिन	
		(ठ) सभापटल पर रखे जाने वाले पत्रों की सूची	प्रत्येक बैठक के लिए अंग्रेजी में 1200 तथा	

			हिंदी में 450	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।
24.	प्रशिक्षण प्रकोष्ठ	(क) राज्य सभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए विषयबोध कार्यक्रम (ख) 17वें विषय बोध कार्यक्रम में फाली एस. नरीमन द्वारा राजनीति में आचार विषय पर भाषण	100 100	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए। समिति ने नोट किया कि यह एक बारगी प्रकाशन है और इसे पुनः मुद्रित करने की आवश्यकता नहीं है।
25.	कल्याण प्रकोष्ठ	(क) विभिन्न प्रमाण पत्र	प्रतियों की संख्या आवश्यकतानुसार	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।

सचिवालय द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशनों की जाँच करने और प्रकाशनों की संख्या/प्रतियां घटाए जाने के संबंध में सिफारिश करने हेतु गठित की गई अधिकारियों की समिति की पहली बैठक का कार्यवृत्त

सचिवालय द्वारा प्रकाशित किए जा रहे विभिन्न प्रकाशनों की आवश्यकता और प्रासंगिकता पर विचार करने तथा चर्चा करने और जहाँ भी संभव हो इन प्रकाशनों की संख्या घटाए जाने के तरीके और साधनों को ढूंढने के लिए समिति की पहली बैठक शुक्रवार, 24 नवंबर, 2017 को म.प. 3.30 बजे, कमरा सं. 34, संसद भवन, नई दिल्ली में हुई।

निम्नलिखित अधिकारी बैठक में उपस्थित थेः-

(1) श्री मुकुल पांडे - अपर सचिव (एल) - अध्यक्ष

(2) श्री एम.के. खान - संयुक्त सचिव (क्यू) - सदस्य

(3) श्री जे.जी. नेगी - संयुक्त सचिव (पीएंडपी) - सदस्य

(4) श्री एस.डी. नौटियाल - संयुक्त सचिव (आर) - सदस्य

(5) श्री जे. सुंद्रियाल - संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार - सदस्य

(6) श्रीमती एम. शशिलेखा नायर - निदेशक (जी) - सदस्य सचिव

(7) श्रीमती मीना कांडपाल - अपर निदेशक (लार्डिस)

(8) श्रीमती अमृत पाल - संयुक्त निदेशक (पी. एंड पी. सेवा)

2. प्रारंभ में अपर सचिव (एल) ने समिति के सदस्यों का स्वागत किया और उन्हें सूचित किया कि महासचिव, राज्य सभा ने सचिवालय द्वारा प्रकाशित किए जा रहे प्रकाशनों पर चर्चा करने और जहाँ भी संभव हो इन प्रकाशनों की संख्या घटाए जाने के तरीकों एवं साधनों का पता लगाने के लिए यह समिति गठित की है।

3. अपर सचिव (एल) ने समुक्ति की कि ऐसा महसूस किया जा रहा है कि किसी एक विषय विशेष पर अनेक प्रकाशन हैं, जो प्रकृति में एक समान हैं और समिति को उन प्रकाशनों की समीक्षा करनी है और पता लगाना है कि क्या इनकी संख्या घटाई जा सकती है।

4. अपर सचिव (एल) को बताया गया कि यहाँ दो प्रकार के प्रकाशन हैं- एक प्रकार का प्रकाशन 'लार्डिस' द्वारा किया जा रहा है और एक दूसरे प्रकार का प्रकाशन सचिवालय के अन्य विभिन्न अनुभागों द्वारा किया जा रहा है। 'लार्डिस' द्वारा प्रकाशित किए जा रहे प्रकाशनों की सूची को आगे निम्नलिखित रूप से श्रेणीबद्ध किया गया हैः

(क) एक बार प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशन (सामान्य)

(ख) एक बार प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशन (विशेष अवसर)

(ग) सावधिक प्रकाशन

(घ) संशोधनीय प्रकाशन

5. अपर सचिव (एल) ने 'एक बार प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशनों ' के संबंध में समुक्ति की कि चूँकि इनका प्रकाशन पहले ही हो चुका है और इसलिए यह 'निष्पन्न कार्य' है, इनकी समीक्षा की आवश्यकता नहीं है। तथापि, 'एक बार प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशन' श्रेणी में भी कतिपय प्रकाशन जैसे कि 'वेलकम मिस्टर चेयरमैन, सर', ऐसे प्रकाशन हैं जो 'एक बार प्रकाशित' होने वाले होने के बावजूद हटाए नहीं जा सकते हैं, क्योंकि पदस्थ व्यक्ति के बदल जाने अथवा अद्यतन किए जाने की आवश्यकता के कारण समय-समय पर इनकी आवश्यकता पड़ती है।

6. संयुक्त सचिव (एलआर) ने बताया कि कुछ 'एक बार प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशन' डिजिटाइज्ड किए गए हैं, और पढ़ने के लिए ऑनलाईन भी उपलब्ध हैं।

7. अपर सचिव (एल) ने 'लार्डिस' को निदेश दिया कि 'एक बार प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशनों' का आगे उप-श्रेणीकरण भी किया जाए जैसेकिः- (i) जिनका आगे प्रकाशन/मुद्रण करने की कोई आवश्यकता नहीं है और (ii) जिन्हें पाँच अथवा दस वर्षों के अन्तराल पर प्रकाशित/मुद्रित किया जाना है। उन्होंने आगे यह निदेश दिया कि सभी प्रकाशनों का श्रेणीकरण विषय-वस्तु-वार किया जाए, ताकि समिति प्रकाशनों की बहुलता अथवा अन्यथा के संबंध में अवलोकन कर सके। उन्होंने समुक्ति की कि 'लार्डिस' द्वारा उक्त श्रेणीकरण कर लिए जाने के पश्चात् समिति इसका सिंहावलोकन कर सकती है।

<u>सावधिक प्रकाशन</u>

8. सावधिक प्रकाशनों के संबंध में अपर सचिव (एल) और संयुक्त सचिव (एलआर) दोनों के द्वारा यह समुक्ति की गई कि प्रकाशन "राज्य सभा और इसका सचिवालय-एक निष्पादन विवरण" जो राज्य सभा और इसके सचिवालय द्वारा एक वर्ष में निष्पादित किए गए कार्यों का सारांश उपलब्ध करवाता है, हितार्थियों के लिए बहुत उपयोगी है और इसे केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार किया जाना चाहिए और वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

9. "सदस्य परिचय, राज्य सभा" के संबंध में यह समुक्ति की गई कि चूँकि प्रकाशन में राज्य सभा में सदस्यों का जीवन-वृत्त अन्तर्विष्ट है, और प्रत्येक दो वर्ष के पश्चात् द्विवार्षिक निर्वाचन में राज्य सभा में काफी नए सदस्य निर्वाचित/नाम-निर्देशित होते हैं, इस प्रकाशन को समाप्त नहीं किया जा सकता है यद्यपि, सदस्यों का जीवन-वृत्त राज्य सभा की वेबसाइटों पर उपलब्ध है और जब भी

संशोधन/उन्नयन/नाम जोड़े जोन/हटाए जाने की आवश्यकता होती है इसे नियमित रूप में अद्यतन किया जाता है।

संशोधनीय प्रकाशन

10. संशोधनीय प्रकाशनों में से, यह समुक्ति की गई, कि "ह्यूमर इन द हाऊसः ए गलिंप्स इनटू द एनलाइविनिंग मूड्स ऑफ राज्य सभा" नामक प्रकाशन अंतिम बार 2003 में प्रकाशित हुआ था। इसके प्रथम तीन संस्करण वर्ष 1985, 1986 और 1989 में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात् इस विषय पर कोई प्रकाशन नहीं लाया गया है।

11. "सभापीठ द्वारा दिए गए निर्णय और समुक्तियां" के संबंध में यह समुक्ति की गई कि इसका अंतिम संस्करण 2009 में लाया गया था। तथापि, संयुक्त सचिव (एलआर) द्वारा यह बताया गया कि इस प्रकाशन को अद्यतन किया जा रहा है और इसका अद्यतन किया हुआ और समेकित रुपान्तर 2018 में लाया जाएगा। चूँकि यह बहुत ही उपयोगी प्रकाशन है अतः समिति ने महसूस किया कि इसे पाँच वर्ष की नियमित अवधि के अन्तराल पर प्रकाशित किया जाना चाहिए।

12. यह महसूस किया गया कि "भारतीय संसद का परिचय नामक प्रकाशन" उस लक्षित समूह के लिए एक बहुत ही लाभदायक प्रकाशन है जिसमें विदेशों से भारत के दौरे पर आए शिष्टमंडल, संसद का दौरा करने वाले छात्र समूह; अनुसंधान वेत्ता आदि और नए सदस्य शामिल हैं। इसका प्रकाशन नियमित अन्तराल पर किया जाना चाहिए।

13. "दस पुस्तिकाओं की श्रृंखला" जो राज्य सभा के नए सदस्यों के लिए विषय-बोध कार्यक्रम के दौरान उन्हें वितरित की जाती है, 'कार्यरत राज्य सभा' और 'परिपाटी' तथा प्रक्रिया श्रंखला के संबंध में संयुक्त सचिव (एल आर) ने बताया कि यद्यपि, सरसरी निगाह से देखें तो तीनों प्रकाशन एक जैसे विषय-वस्तु वाले और एक जैसी प्रकृति वाले प्रतीत होते हैं परन्तु इनकी कार्यत्मक उपयोगिता व्यापक रूप से भिन्न है। इस बात पर अपर सचिव (एल) ने बताया कि इस निर्णय पर पहुँचने से पहले कि क्या इन तीनों में से किसी प्रकाशन को हटाया जा सकता है अथवा उनका विलय किया जा सकता है इन सभी तीनों प्रकाशनों को समिति अपनी अगली बैठक में देखेगी।

14. "राज्य सभा के प्रकाशनों की हस्तपुस्तिका" के संबंध में संयुक्त सचिव (एल आर) ने बताया कि यह पुस्तक एक तरह की सूची है जिसमें राज्य सभा द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशनों की पूर्ण सूची होती है, जिसमें प्रत्येक की अवधि दी गई होती है, और यह प्रकाशन इंट्रानेट पर उपलब्ध है। इस

तरह यह समुक्ति की गई कि इस पुस्तक को मुद्रित रूप में प्रकाशित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

15. बैठक को स्थगित करने से पूर्व समिति ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि 'लार्डिस' द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशनों पर यह अंतिम निर्णय लेने से पूर्व कि इन में से किन-किन प्रकाशनों को आगे प्रकाशित/मुद्रित किए जाने की आवश्यकता नहीं है, किस प्रकाशन को इलेक्ट्रॉनिक रूप में देखे जाने के लिए इंट्रानेट पर डाला जाना चाहिए और किस को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाना चाहिए, सभी प्रकाशनों को उनके मुद्रित स्वरूप में देख लिया जाए। तदनुसार, अपर सचिव (एल) ने निदेश दिया कि 'लार्डिस' अपने से संबंधित सभी प्रकाशनों को समिति की अगली बैठक में लेकर आए ताकि उक्त निर्णय लेने को सहज बनाने के लिए समिति इन्हें देख सके। सचिवालय के अन्य अनुभागों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशनों की सूची के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि इन्हें अगली बैठक में देखा जाएगा।

तत्पश्चात् बैठक म.प. 4.50 पर स्थगित हुई।

ह/-
(मुकुल पांडे)
अपर सचिव (एल.)

ह/-
(एम.के. खान)
संयुक्त सचिव (क्यू)

ह/-
(जे.जी. नेगी)
संयुक्त सचिव (पी. एंड पी.)

ह/-
(एस.डी. नौटियाल)
संयुक्त सचिव (एल. आर.)

ह/-
(जे. सुन्द्रियाल)
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार

24 **नवंबर**, 2017
नई दिल्ली

ह/-
(शशिलेखा नायर)
निदेशक (जी) एवं सदस्य सचिव

सचिवालय के प्रकाशनों की समीक्षा करने और प्रकाशनों/ प्रतियों की संख्या को कम करने की अनुशंसा करने हेतु गठित की गई अधिकारियों की समिति की दूसरी बैठक का कार्यवृत्त

समिति की दूसरी बैठक मंगलवार, 12 दिसम्बर, 2017 को मध्याह्न पश्चात 3.00 बजे कमरा संख्या 34, संसद भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित रहे:

(1) श्री मुकुल पांडे, अपर सचिव (एल)- अध्यक्ष
(2) श्री एम.के. खान, संयुक्त सचिव (क्यू)- सदस्य
(3) श्री जे.जी. नेगी, संयुक्त सचिव (पी.एंड पी.)- सदस्य
(4) श्री एस.डी. नौटियाल, संयुक्त सचिव (एल.आर.)- सदस्य
(5) श्रीमती एम. शशिलेखा नायर, निदेशक (जी.)- सदस्य सचिव
(6) श्रीमती मीना कंडवाल, अपर निदेशक (लार्डिस)
(7) श्रीमती अमृत पाल, संयुक्त निदेशक (मुद्रण एवं प्रकाशन सेवा)

2. समिति के सदस्यों का स्वागत करने के पश्चात अपर सचिव (एल.) ने दिवस हेतु नियत कार्य सूची को आरंभ किया। उनको यह बताया गया कि पूर्व में अर्थात् 24 नवम्बर, 2017 को आयोजित समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार लार्डिस सेवा को यह निदेश दिया जा चुका है कि वह अपने सभी प्रकाशनों को श्रेणी- वार तथा विषय- वस्तु वार वर्गीकृत करते हुए एक समेकित सूची तैयार करे। लार्डिस ने उपरोक्त निदेशों का अनुपालन किया था और तदनुसार विषय- वस्तु के आधार पर वर्गीकरण करते हुए लार्डिस की ओर से एक समेकित सूची तैयार की गई थी और इसकी संवीक्षा किए जाने हेतु इसे समिति के सदस्यों के पास भेजा गया था ताकि वे इस पर अपनी समुक्तियाँ कर सकें/ अपना मत व्यक्त कर सकें।

3. समिति ने लार्डिस द्वारा तैयार की गई सूची की संवीक्षा करने के पश्चात निम्नलिखित सिफारिशें की थी:-

<u>एक बार प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशन</u>

एक बार प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशनों, जिन्हें पहले ही प्रकाशित और मुद्रित किया जा चुका है, के संबंध में, समिति ने यह समुक्ति की थी कि वर्तमान स्टॉक में उपलब्ध प्रतियों के अतिरिक्त इन प्रकाशनों की नई प्रतियों का मुद्रण नहीं कराया जाएगा। आगामी पीढ़ियों के प्रयोग के लिए इन सभी प्रकाशनों का डिजिटलीकरण कर दिया जाए और इन्हें राज्य सभा की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाए।

विशेष अवसरों पर प्रकाशित किए जाने वाले प्रकाशन:

4. 'वेलकम, मिस्टर चेयरमेन सर' जैसे प्रकाशन जो विशेष अवसरों पर प्रकाशित किए जाते हैं, के संबंध में, समिति ने यह नोट किया कि जब भी किसी नए सभापति ने अपना कार्यभार ग्रहण किया है तो समय-समय पर इसे प्रकाशित किया जाता है। यह भी नोट किया गया कि प्रत्येक अवसर पर भिन्न-भिन्न सभापति द्वारा कार्यग्रहण करने पर प्रकाशन का एक विशिष्ट संकलन जारी किए जाने के अतिरिक्त सावधिक आधार पर ऐसा समेकित संस्करण भी प्रकाशित किया जाता है जिसमें राज्य सभा के गठन से अब तक राज्य सभा के विभिन्न सभापतियों का सभी अवसरों पर किया गया अभिनन्दन सम्मिलित किया जाता है। समिति ने महसूस किया कि एक विशिष्ट संस्करण प्रकाशित करने के अतिरिक्त इस प्रकार का समेकित संस्करण प्रकाशित किया जाना उपयोगी नहीं है क्योंकि यह केवल कार्य की पुनरावृत्ति है। समेकित संस्करण केवल विशिष्ट संस्करणों का संकलन है और इसकी गुणवत्ता में कोई वृद्धि नहीं हुई है। तदनुसार, समिति ने यह सिफारिश की थी कि 'वेलकम मिस्टर चेयरमेन सर' नामक प्रकाशन को बंद कर दिया जाए।

5. परिशिष्ट-II में सूचीबद्ध प्रकाशनों के संबंध में, समिति का यह मत था कि चूंकि ये ऐसे प्रकाशन हैं जिनमें से कुछ विशिष्ट विषयों पर संपादित आलेख हैं तथा कुछेक में आंकड़ों से संबंधित जानकारी भी निहित है तथा इन्हें विशिष्ट अवसरों पर जैसे कि संसद के 50 वर्ष अथवा 60 वर्ष पूर्ण होने पर, प्रकाशित किया गया था। इन प्रकाशनों को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है। भविष्य में विशेष अवसरों पर जारी किए जाने वाले प्रकाशनों के बारे में उस समय निर्णय लिया जा सकता है जब ऐसा अवसर उपस्थित हो।

सावधिक प्रकाशन

6. "राज्य सभा और उसका सचिवालय- कार्य- निष्पादन विवरण" नामक सावधिक प्रकाशन के संबंध में, अपर सचिव (एल.) और संयुक्त सचिव (एल.आर.) ने 24 नवम्बर, 2017 को हुई बैठक में यह समुक्ति की थी कि यह प्रकाशन उपयोगी है क्योंकि इसमें राज्य सभा, इसकी समितियों तथा इसके सचिवालय द्वारा संपूर्ण वर्ष के दौरान किए गए समस्त कार्य की सूचना निहित होती है और इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार किया जाना चाहिए तथा राज्य सभा की वेबसाइट पर उपलब्ध कराना चाहिए।

7. "राज्य सभा- सदस्य परिचय" नामक प्रकाशन के संबंध में, उस बैठक में यह समुक्ति की गई थी कि चूंकि इस प्रकाशन में राज्य सभा के सदस्यों तथा द्विवार्षिक चुनावों में निर्वाचित / नाम निर्देशित नए सदस्यों का जीवन वृत्त सम्मिलित होता है तथा वर्तमान सदस्य के व्यक्तिगत ब्योरे का अद्यतनीकरण/ संशोधन किया जाता है, अतः इस प्रकाशन को बंद नहीं किया जा सकता है। अतः, यह महसूस किया गया कि द्विवार्षिक आधार पर इसके प्रकाशन की वर्तमान परिपाटी को जारी रखा जाए। तदनुसार, समिति ने 12 दिसम्बर, 2017 को हुई अपनी हालिया बैठक में समिति द्वारा पूर्व में 24 नवम्बर, 2017 को व्यक्त किए गए मत का समर्थन किया गया।

8. 'टेन बुकलेट सीरिज' के संबंध में, समिति ने यह महसूस किया था कि 'टेन बुकलेट सीरिज' एक अत्यंत व्यापक एवं उपयोगी प्रकाशन है इसे द्विवार्षिक चुनावों के पश्चात नए सदस्यों हेतु आयोजित विषय-बोध कार्यक्रम के दौरान उनमें वितरित किया जाता है। तदनुसार, समिति ने यह सिफारिश की थी कि इस प्रकाशन को द्विवार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाना रखा जाए।

संशोध्य प्रकाशन

9. "लाइटर मोमन्ट्स इन द राज्य सभा (1985)", "लाइटर मोमन्ट्स इन द राज्य सभा- ए सप्लीमेंट (1986)", "द हाउस लाफ्स - एन एंथोलॉजी ऑफ विट एंड ह्यूमर इन द राज्य सभा (सितम्बर, 1989)", "ह्यूमर इन द हाउसः ए ग्लिम्प्स इन्टू द इनलिवनिंग मूड्स ऑफ राज्य सभा (दिसम्बर, 2003)", नामक संशोध्य प्रकाशनों के संबंध में, समिति ने 24 नवम्बर, 2017 को हुई अपनी बैठक में यह नोट किया था कि प्रकाशनों के उक्त चार संस्करणों को क्रमशः 1985, 1986, 1989 और 2003 में प्रकाशित कराया गया था। तत्पश्चात, इस विषय पर कोई भी प्रकाशन जारी नहीं हुआ। तदनुसार, समिति सर्वसम्मति से यह महसूस करती है कि लार्डिस सेवा महासचिव से आदेश प्राप्त कर सकती है कि क्या भविष्य में इन प्रकाशनों के अनुवर्ती संस्करण जारी किए जाएं अथवा इन्हें बंद कर दिया जाए।

10. "सभापीठ द्वारा दिए गए निर्णय और समुक्तियां" नामक प्रकाशन के संबंध में, समिति ने 24 नवम्बर, 2017 को हुई अपनी बैठक के दौरान पहले ही यह सिफारिश कर दी थी कि इसमें विभिन्न संवैधानिक तथा प्रक्रियागत विषयों के संबंध में, राज्य सभा के पीठासीन अधिकारियों द्वारा दिए गए विनिर्णय तथा समुक्तियां शामिल होती हैं और जिनका संदर्भ की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। अतः इस प्रकाशन को पांच वर्ष के नियमित अंतराल पर प्रकाशित किया जाना चाहिए। समिति ने 12 दिसम्बर, 2017 को हुई वर्तमान बैठक में उपर्युक्त समुक्तियों को दोहराया।

11. "भारतीय संसदः एक परिचय" नामक प्रकाशन के संबंध में, समिति ने अपनी पूर्व की बैठक में यह समुक्ति की थी कि यह लक्षित समूह के लिए अत्यंत उपयोगी प्रकाशन है जिसमें विदेशों से दौरे पर आने वाले प्रतिनिधि मंडल, संसद का दौरा करने वाले छात्र समूह, शोधार्थी तथा नए सदस्य इत्यादि सम्मिलित हैं और नियमित अंतराल पर इनका प्रकाशन कराया जाना चाहिए। समिति ने अपनी वर्तमान बैठक में भी उक्त समुक्तियों को दोहराया है।

12. 'परिपाटी एवं प्रक्रिया श्रृंखला' के संबंध में यह नोट किया गया कि इसमें प्रायः वही जानकारियां हैं जो 'टेन बुकलेट सीरीज' में हैं, अतः समिति ने यह महसूस किया कि 'परिपाटी एवं प्रक्रिया' संबंधी प्रकाशन श्रृंखला को बंद किया जाए। "कार्यरत राज्य सभा" के संबंध में समिति ने यह महसूस किया कि इस प्रकाशन में राज्य सभा के कार्यकरण से संबंधित प्रक्रिया एवं परिपाटियों के बारे में उपयोगी सूचना उपलब्ध होती है जिसे सदस्य राज्य सभा के कामकाज की व्यापक जानकारी पाने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। समिति ने महसूस किया कि इस प्रकाशन को नियमित अंतराल पर प्रकाशित किया जाना चाहिए।

13. "राज्य सभा सदस्यों के जीवन परिचय" नामक प्रकाशन के संबंध में संयुक्त सचिव (एल. एंड आर.) द्वारा यह दर्शाया गया था कि संदर्भ की दृष्टि से इस प्रकाशन का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि इसमें वर्ष 1952 से लेकर अब तक संक्षिप्त रूप में सदस्यों का जीवन परिचय वर्णक्रमानुसार उपलब्ध है, अतः इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। अतः समिति ने यह सिफारिश की कि लार्डिस द्वारा अपेक्षित अंतराल के पश्चात सावधिक आधार पर इस प्रकाशन को प्रकाशित किया जाए।

14. तत्पश्चात समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि सचिवालय के विभिन्न अन्य अनुभागों द्वारा प्रकाशित किए जा रहे प्रकाशनों की समीक्षा करने तथा उन पर अपनी सिफारिश देने हेतु आगामी सत्र के स्थगन के पश्चात एक और बैठक का आयोजन किया जाए।

समिति की बैठक म.प. 4.15 पर स्थगित हुई।

ह0/-
(मुकुल पांडे)
अपर सचिव (एल.)

ह0/-
(एम.के. खान)
संयुक्त सचिव (क्यू.)

ह0/-
(जे.जी. नेगी)
संयुक्त सचिव (पी. एंड पी.)

ह0/-
(एस.डी. नौटियाल)
संयुक्त सचिव (एल.आर.)

ह0/-
(शशिलेखा नायर)
निदेशक (जी.) एवं सदस्य सचिव

12 **दिसम्बर**, 2017
नई दिल्ली

सचिवालय के प्रकाशनों की समीक्षा करने और प्रकाशनों/ प्रतियों की संख्या को कम करने की अनुशंसा करने हेतु गठित की गई अधिकारियों की समिति की तीसरी बैठक का कार्यवृत्त

समिति की तीसरी बैठक बृहस्पतिवार, 11 जनवरी, 2018 को मध्याह्न पश्चात 5.50 पर कमरा संख्या 34, संसद भवन, नई दिल्ली में आयोजित हुई।

बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित थे:

(1) श्री मुकुल पांडे, अपर सचिव (एल)- अध्यक्ष
(2) श्री एम.के. खान, संयुक्त सचिव (क्यू)- सदस्य
(3) श्री जे.जी. नेगी, संयुक्त सचिव (पी.एंड पी. सेवा)- सदस्य
(4) श्री एस.डी. नौटियाल, संयुक्त सचिव (एल.आर.)- सदस्य
(5) श्री जे. सुंद्रियाल, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार- सदस्य
(6) श्रीमती एम. शशिलेखा नायर, निदेशक (जी.)- सदस्य सचिव
(7) श्रीमती मीना कंडवाल, अपर निदेशक (लार्डिस)
(8) श्रीमती संतोष नासा, अपर निदेशक (पी.एंड पी. सेवा)
(9) श्रीमती अमृत पाल, संयुक्त निदेशक (मुद्रण एवं प्रकाशन सेवा)

अपर सचिव (एल.) ने उपस्थित अधिकारियों का स्वागत किया और तत्पश्चात् दिन की कार्यवाही को विचारार्थ लिया। उन्हें यह बताया गया कि पहले हुई दो बैठकां में समिति ने 'लार्डिस' सेवा के प्रकाशनों के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया था और अपनी सिफारिशें/सुझाव दिए थे। अब समिति को सचिवालय के अन्य विभिन्न अनुभागों के प्रकाशनों के संबंध में विचार करना है। समिति की सुविधा के लिए मुद्रण और प्रकाशन सेवा ने सचिवालय को विभिन्न अनुभागों के प्रकाशनों की सूची संकलित की है।

तदनुसार, समिति ने कार्यसूची ली और उस पर विचार-विमर्श आरंभ किया। समिति द्वारा विभिन्न अनुभागों के प्रत्येक प्रकाशन के संबंध में की सिफारिशों को तालिका रूप में संकलित किया गया है जो निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	अनुभाग का नाम	प्रकाशित किया जा रहा प्रकाशन	प्रचलित परिपाटी	समिति की सिफारिश / सुझाव
1.	बिल ऑफिस	क) विधेयक	आवश्यकतानुसार प्रतियों की संख्या	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाई रखी जाए।
		ख) राजपत्र अधिसूचना	भारत सरकार की प्रेस में अपलोड करने के लिए सॉफ्ट कॉपी भेज दी जाती है।	समिति ने समुक्ति की कि अब राजपत्र अधिसूचनाएं पहले की तरह मुद्रित नहीं की जाती है और उन्हें राज्य सभा की वेबसाइट पर डाल दिया जाता है। इसने महसूस किया कि वर्तमान व्यवस्था को जारी रखा जाए।
2.	समिति समन्वयन अनुभाग	क) निर्वाचन हेतु बैलट पत्र	आवश्यकतानुसार प्रतियों की संख्या	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।
		ख) सांख्यिकी सूचना	600 अंग्रेजी रुपांतर 200 हिंदी रुपांतर	समिति ने महसूस किया कि मुद्रित प्रतियों की संख्या घटाकर 400 (अंग्रेजी) और 100 (हिंदी) की जा सकती है। यह भी सुझाव दिया कि इन्हें वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है।
3.	अंग्रेजी संपादन	क) अनुक्रमणिका	प्रत्येक सत्र की 250 प्रतियां	संयुक्त सचिव (संपादन एवं अनुवाद) से पता चला कि ये प्रतियां मानक पत्राचार सूची के अनुसार सभी सदस्यों को भेजी जा रही हैं, अतः प्रतियों की संख्या घटाना संभव नहीं होगा। समिति ने महसूस किया

				कि यथास्थिति बनाई रखी जाए। समिति ने विस्तृत चर्चा के पश्चात् यह महसूस किया कि प्रतियों की संख्या घटाकर 300 प्रति बैठक की जा सकती हैं।
		ख) वाद विवाद का मूल संस्करण	प्रत्येक बैठक के लिए 360	
4.	आचार समिति	क) फार्म	आवश्यकतानुसार प्रतियों की संख्या	
		ख) राज्य सभा सदस्य -आस्तियों और देयताओं की घोषणा नियम	300	समिति का विचार था कि यथास्थिति बनाई रखी जाए।
		ग) राज्य सभा सदस्य - हित की घोषणा नियम	300	
		घ) आचार-संहिता - संबंधित पुस्तिका	300	
5.	सामान्य प्रशासन अनुभाग	क) आधिकारिक दूरभाष निर्देशिका	700	समिति का विचार था कि कुछ सदस्यों के नामों को छोड़कर अधिकांश सदस्यों की दूरभाष संख्याएं, जो इस निर्देशिका में उपलब्ध हैं, 'सदस्यों की सूची' नामक प्रकाशन में भी उपलब्ध हैं। तदनुसार, समिति ने सुझाव दिया कि जो दूरभाष संख्याएं 'सदस्यों की सूची' में उपलब्ध नहीं हैं और जिनका आधिकारिक दूरभाष निर्देशिका में उल्लेख है, उन्हें 'सदस्यों की सूची' में शामिल किया जाए और

		ख) प्रशंसनीय कार्य पुरस्कार प्रदान करने के लिए प्रमाणपत्र ग) दूरभाष टेबल चार्ट	100 500	आधिकारिक दूरभाष निर्देशिका का प्रकाशन बंद कर दिया जाए। समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखा जाए। समिति ने महसूस किया कि प्रतियों की संख्या घटाकर 300 की जाए।
6.	हिंदी संपादन	क) हिंदी वाद-विवाद ख) संसदीय शब्दावली	प्रत्येक बैठक के लिए 35 500	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाई रखी जाए। समिति ने समुक्ति की कि यह प्रकाशन सचिवालय के आंतरिक उपयोग के लिए है। इसने यह भी नोट किया कि प्रकाशन को वेबसाइट पर डाला गया है। तथापि, संयुक्त सचिव (संपादन एवं अनुवाद) की राय के अनुसार कि यह प्रकाशन बहुत लाभदायक है इसमें विभिन्न पारिभाषिक शब्दों, जिनका राज्य सभा में उपयोग होता है, की शब्दावलियां शामिल हैं। इसलिए इसकी हार्ड प्रतियां माननीय सभापति, उप सभापति और उप निदेशक एवं वरिष्ठ अधिकारियों तथा सभी अनुभागों को परिचालित किए जाने की आवश्यकता होती है। अतः इनकी प्रतियों

				की संख्या को 500 से बढ़ाकर 700 किया जाए। समिति ने विस्तृत विश्लेषण के पश्चात् यह महसूस किया कि प्रतियों की संख्या बढ़ाने का कोई उपयुक्त कारण नहीं है और यह सिफारिश की कि प्रतियों की मौजूदा 500 संख्या को जारी रखा जाए।
7.	सूचना प्रौद्योगिकी अनुभाग	क) राज्य सभा सचिवालय की सूचना प्रौद्योगिकी योजना ख) राज्य सभा के सदस्यों के लिए कंप्यूटर उपस्करों का प्रावधान संबंधी पुस्तिका	200 200	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाई रखी जाए। समिति ने सिफारिश की कि जब स्टॉक समाप्त हो जाए तो संबंधित अनुभाग वास्तविक आकलन करे और आवश्यकतानुसार प्रतियां मुद्रित कराए।
8.	लॉबी कार्यालय	क) जर्नल ख) मत विभाजन पर्चियां	60 आवश्यकतानुसार प्रतियों की संख्या	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाई रखी जाए। समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाई रखी जाए।
9.	विधायी अनुभाग	क) राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन विषयक नियम	1000 अंग्रेजी 500 हिंदी	समिति को बताया गया कि इस प्रकाशन के नौवें संस्करण का मुद्रण 2016 में हुआ था। अंग्रेजी में 500 प्रतियां और हिंदी में 200 प्रतियां

				मुद्रित कराई गईं थीं। इस प्रकाशन की पर्याप्त प्रतियां भविष्य में इस्तेमाल के लिए शेष बच गईं। समिति की राय थी कि जब भी अगले संस्करण के मुद्रण की आवश्यकता महसूस की जाती है, अनुभाग आवश्यकता का वास्तविक आकलन करें और सक्षम प्राधिकारी से आदेश प्राप्त करे।
		ख) सदस्यों के लिए जानकारी पुस्तिका	आवश्यकतानुसार प्रतियों की संख्या	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाई रखी जाए।
		ग) राजपत्र अधिसूचना	भारत सरकार मुद्रणालय को सॉफ्ट कॉपी अपलोड करने के लिए भेजी जाती है।	समिति ने नोट किया कि राजपत्र अधिसूचना मुद्रित नहीं की जाती है परन्तु उन्हें वेबसाइट पर अपलोड किया जा रहा है। समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाई रखी जाए।
		घ)राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव में संशोधन की सूचनाएं	700 अंग्रेजी 200 हिंदी	समिति का विचार था कि 500 प्रतियां अंग्रेजी में और 150 प्रतियां हिंदी में मुद्रित कराई जाएं जोकि मानक आवश्यकता है। इसने मुद्रण अनुभाग को यह निदेश भी दिया कि वह विधायी अनुभाग को सूचनाओं की सॉफ्ट प्रतियां उपलब्ध कराए।
		ड.) विभिन्न प्रपत्र	प्रतियों की संख्या आवश्यकतानुसार	समिति समुक्ति करती है कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, संकल्प, अल्प-कालिक

				चर्चा, विशेष उल्लेख आदि जैसी विभिन्न संसदीय पत्रों को उनकी आवश्यकता के अनुसार मुद्रित कराया जाए।
10.	कार्मिक अनुभाग	(क)राज्य सभा सचिवालय-एक सिंहावलोकन (ख) राजपत्रित अधिसूचनाएं (ग)सत्यापन प्रपत्र आदि जैसे अन्य प्रपत्र	200 अपलोड करने के लिए भारत सरकार के मुद्रणालय को सॉफ्ट कॉपी भेजी जाती है। प्रतियों की संख्या आवश्यकतानुसार।	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए। राजपत्रित अधिसूचनाओ के संबंध में समिति ने नोट किया कि अब इसे मुद्रित नहीं किया जाता है और इसे केवल वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। समिति ने नोट किया कि वर्तमान परिपाटी जारी रखी जाए।
11.	संसद सदस्य सुविधा अनुभाग	(क) राज्य सभा के सदस्यों के लिए आवास और अन्य सुविधाओं के संबंध में पुस्तिकाएं (ख) प्रपत्र और पंजिकाएं	200 अंग्रेजी तथा 200 हिंदी प्रतियों की संख्या आश्यकतानुसार	समिति ने महसूस किया कि अनुभाग कि वास्तविक आवश्यकता का आकलन किया जाए और तत्पश्चात् उतनी प्रतियां मुद्रित कराई जाएं। समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।
12.	सूचना कार्यालय	(क) वार्षिक पार्किंग लेबल (ख) पहचान पत्र और प्रवेश अनुमति पत्र	2650 प्रतियों की संख्या आवश्यकतानुसार	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।
13.	संगठन और पद्धति अनुभाग	(क) कार्यालय प्रक्रिया (ख) कार्यालय प्रक्रिया	100 अंग्रेजी 50 हिंदी 500 अंग्रेजी	समिति ने नोट किया कि यह एक बारगी प्रकाशन है। कार्यालय प्रक्रिया

		नियम पुस्तिका	100 हिंदी	नियम पुस्तिका पहले 2000 में और फिर 2010 में प्रकाशित हुई थी। समिति ने सिफारिश की कि अगली बार मुद्रण का आदेश देने से पूर्व संबंधित अनुभाग द्वारा आकलन किया जाए।
14.	वेतन तथा लेखा कार्यालय	(क) पंजिकाएं (ख) पेंशन अदायगी आदेश पुस्तिका	प्रतियों की संख्या आवश्यकतानुसार 500	समिति ने सिफारिश की कि अनुभाग द्वारा वास्तविक स्थिति का आकलन किया जाए और तत्पश्चात् ही मुद्रण का आदेश दिया जाए।
15.	संसद सुरक्षा सेवा	(क) विभिन्न पंजिकाएं (ख)नैमित्तिक प्रवेश अनुमति पत्र (ग) सीपीआईसी अनुमति पत्र	प्रतियों की संख्या आवश्यकतानुसार 25000 प्रतियों की संख्या आवश्यकतानुसार	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।
16.	राजभाषा प्रभाग	(क) नूतन प्रतिबिंब (ख) हिंदी पखवाड़ा प्रमाण पत्र	1200 90	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।
17.	भण्डार अनुभाग	(क) डेस्क कलैण्डर (ख) पंजिकाएं	6000 प्रतियों की संख्या आवश्यकतानुसार	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।
18.	सारांश अनुभाग	(क) सारांश की विषयवस्तु (सत्रात्मक पत्र)	10 अंग्रेजी में और 10 हिंदी में	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।
19.	विक्रय और अभिलेखागार	(क)वाद-विवाद की विषय वस्तु	प्रतियों की संख्या आवश्यकतानुसार	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए

	अनुभाग	(ख) प्रकाशनों की सूची	25	रखी जाए।
20.	प्रश्न शाखा	(क) तारांकित प्रश्नों, अतारांकित प्रश्नों, अल्प सूचना, आधे घंटे की चर्चा के प्रपत्र	1,25,000	समिति को बताया गया कि प्रश्नों की सूचना के प्रपत्रों की संख्या घटाकर अब 1,10,000 कर दी गई है क्योंकि अप्रयुक्त सूचनाओं की बहुत अधिक बर्बादी होती है। प्रश्नों की सूचनाओं को क्रम संख्या के बिना और प्रकाशन वर्ष के बिना मुद्रित करने का एक प्रस्ताव विचाराधीन है, ताकि इनका उपयोग आगामी वर्षों में भी किया जा सके। समिति ने महसूस किया कि उपर्युक्त प्रस्ताव से बर्बादी को घटाने में बहुत सहायता मिलेगी तदनुसार, प्रस्ताव का समर्थन किया।
		(ख) प्रश्नों के संबंध में सांख्यिकी सूचना	प्रतियों की संख्या आवश्यकतानुसार	समिति को बताया गया कि इसके मुद्रण को रोकने और सांख्यिकी सूचना को डिज़िटल रूप में अपलोड करने का प्रस्ताव किया गया है। समिति प्रस्ताव से सहमत हुई क्योंकि इससे कागजों की खपत में कटौती होगी।
21.	संसद सदस्य वेतन और भत्ता शाखा	(क) प्रपत्र और पंजिकाएं	प्रतियों की संख्या आवश्यकतानुसार	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।
		(ख) संसद सदस्यों	300	

		और उनके पति/पत्नी के लिए पहचान-पत्र (ग) संसद सदस्यों और उनके पति/पत्नी के लिए रेलवे पास (घ) संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954. (ड.) (i) विपक्ष के नेता (ii) नेताओं और मुख्य सचेतकों (iii) उप-राष्ट्रपति के वेतन, पेंशन भत्ते, अधिनियम	300 300 300	
22.	पुस्तकालय, संदर्भ, अनुसंधान प्रलेखन और सूचना सेवा (लार्डिस) मीडिया शिक्षा और श्रव्य-दृश्य एकक	(क) वार्षिक और सत्रावधि पार्किंग लेबल	500	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।
23.	पटल कार्यालय	(क) सदस्यों की सूची (ख) राज्य सभा द्वारा किए गए कार्य का विवरण (ग) विभाजन संख्या (घ) राष्ट्रपति का निर्वाचन पुस्तिका	1800 प्रत्येक सत्र के लिए 325 प्रत्येक सत्र के लिए 50 500	 समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए। समिति ने नोट किया कि इसे पांच वर्ष में एक बार मुद्रित किया जाता है

				जब भी अपेक्षित हो अनुभाग द्वारा वास्तविक आकलन किया जाए और तदनुसार आदेश दिया जाए।
		(ड.) उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पुस्तिका	90	
		(च) राज्य सभा सदस्यों के लिए सामान्य सूचना	250	समिति का विचार था कि यह बहुत महत्वपूर्ण पुस्तिका है और आवश्यकतानुसार इसका मुद्रण कराया जाए।
		(छ) राजपत्रित अधिसूचनाएं (सत्र बुलाना और सत्रावसान करना)	भारत सरकार को अपलोड करने के लिए सॉफ्ट प्रति भेजी जाती है।	समिति ने नोट किया कि अब इनका मुद्रण नहीं किया जाता है परन्तु इन्हें डिजिटल रूप में अपलोड किया जाता है। समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।
		(ज) आमंत्रण	प्रत्येक सत्र के लिए 700	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।
		(झ) अस्थायी कैलेण्डर	प्रत्येक सत्र के लिए 1000	समिति को बताया गया कि चूंकि यह इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध है इसलिए प्रतियों की संख्या घटाकर 700 कर दी गई है। समिति इस संख्या के साथ सहमत हो गई।
		(ञ) कार्यवलि	प्रत्येक बैठक के लिए 1200 अंग्रेजी में 450 हिंदी में	
		(ट) संसदीय समाचार भाग-।	प्रत्येक बैठक के लिए 700 अंग्रेजी में, 350 हिंदी में	यह सूचित किया गया कि पटल कार्यालय मुद्रण के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करता है परन्तु
		संसदीय समाचार भाग-2	लगभग प्रत्येक दिन	

		(ठ) सभापटल पर रखे जाने वाले पत्रों की सूची	प्रत्येक बैठक के लिए अंग्रेजी में 1200 तथा हिंदी में 450	प्रतियों की संख्या वितरण विभाग द्वारा मेलिंग सूची के अनुसार निर्धारित की जाती हैं। समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।
24.	प्रशिक्षण प्रकोष्ठ	(क) राज्य सभा के नव निर्वाचित सदस्यों के लिए विषयबोध कार्यक्रम (ख) 17वें विषय बोध कार्यक्रम में फाली एस. नरीमन द्वारा राजनीति में आचार विषय पर भाषण	100 100	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए। समिति ने नोट किया कि यह एक बारगी प्रकाशन है और इसे पुनः मुद्रित करने की आवश्यकता नहीं है।
25.	कल्याण प्रकोष्ठ	(क) विभिन्न प्रमाण पत्र	प्रतियों की संख्या आवश्यकतानुसार	समिति ने महसूस किया कि यथास्थिति बनाए रखी जाए।

तत्पश्चात् समिति की बैठक म.प. 7.40 पर स्थगित हुई।

ह/-
(मुकुल पांडे)
अपर सचिव (एल.)

ह/-
(एम.के. खान)
संयुक्त सचिव (क्यू)

ह/-
(जे.जी. नेगी)
संयुक्त सचिव (पी. एंड पी.)

ह/-
(एस.डी. नौटियाल)
संयुक्त सचिव (एल. आर.)

ह/-
(जे. सुन्द्रियाल)
संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार

11 **जनवरी**, 2018
नई दिल्ली

ह/-
(शशिलेखा नायर)
निदेशक (जी) एवं सदस्य सचिव

परिशिष्ट -4

उन प्रकाशनों की संख्या जिन्हें बंद किया जा सकता है: 41

1)	एक बार जारी किए जाने वाले प्रकाशन, परिशिष्ट 1, भाग क	-37
2)	"वेलकम मिस्टर चेयरमेन, सर" का समेकित संस्करण	-1
3)	परिपाटी और प्रक्रिया श्रृंखला	-1
4)	आधिकारिक टेलीफोन डायरेक्टरी	-1
5)	"एथिक्स इन पॉलिटिक्स" फली 'एस' नारीमन द्वारा लिखित	-1

कुल -41

परिशिष्ट -5

उन प्रकाशनों की संख्या जिनका डिजिटलीकरण किया जा सकता है/इलेक्ट्रॉनिक रूप में तैयार किया जा सकता है: 53

1)	एक बार जारी किया जाने वाला प्रकाशन, परिशिष्ट 1, भाग क	-37
2)	विशेष अवसरों पर जारी किए जाने वाले प्रकाशन, परिशिष्ट 1, भाग ख	-13
3)	राज्य सभा और इसका सचिवालय - कार्य निष्पादन परिचय	-1
4)	प्रश्नों की सांख्यिकी सूचना	-1
5)	विधेयक कार्यालय, कार्मिक अनुभाग, विधायी अनुभाग, पटल कार्यालय इत्यादि विभिन्न अनुभागों की राजपत्रित अधिसूचनाएं	-1

कुल -53

उन प्रकाशनों/प्रपत्रों की संख्या जिनकी प्रतियों को कम किया जा सकता है: 5

1) समन्वय समिति अनुभाग की सांख्यिकी सूचना की प्रतियां 600 (अंग्रेजी) तथा 200 (हिंदी) को कम करते हुए क्रमशः 400 (अंग्रेजी) तथा 100 (हिंदी) प्रकाशित करना -1
2) प्रत्येक बैठक के लिए वाद-विवाद के मूल संस्करण की प्रतियों को वर्तमान 360 से घटाकर 300 प्रतियां किया जाना -1
3) टेलीफोन टेबल चार्ट की प्रतियां 500 से घटाकर 300 किया जाना -1
4) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के संबंध में संशोधनों की सूचना की प्रतियां 700 (अंग्रेजी) तथा 200 (हिंदी) को कम करते हुए क्रमशः 500 (अंग्रेजी) तथा 150 (हिंदी) प्रकाशित किया जाना -1
5) प्रश्नों की सूचनाओं (तारांकित/अतारांकित) की संख्या 1,25,000 से 1,10,000 किया जाना -1

कुल -5

उन मुद्रित प्रकाशनों की संख्या जिन्हें जारी रखा जा सकता है: 52

1)	राज्य सभा: सदस्य परिचय	-1
2)	टेन बुकलेट सीरीज	-1
3)	सभापीठ के विनिर्णय एवं समुक्तियां	-1
4)	भारतीय संसद: एक परिचय	-1
5)	कार्यरत राज्य सभा	-1
6)	राज्य सभा सदस्यों का जीवनवृत	-1
7)	विधेयकों का मुद्रण	-1
8)	चुनाव हेतु मतपत्र	-1
9)	अंग्रेजी वाद-विवाद की सूची	-1
10)	आचार संबंधी समिति के सभी प्रकाशन	-1
11)	मेधावी व्यक्तियों दिए जाने वाले पुरस्कारों की सूची	-1
12)	हिंदी वाद-विवाद	-1
13)	संसदीय शब्दावली	-1
14)	राज्य सभा सचिवालय की सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी योजना	-1
15)	कम्प्यूटर उपस्करों के प्रावधान संबंधी पुस्तिका	-1
16)	पत्रिका	-1
17)	डिविजन पर्चियां	-1
18)	राज्य सभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन विषयक नियम	-1
19)	सदस्यों हेतु पुस्तिका	-1
20)	संसदीय प्रक्रियाओं के विभिन्न प्रकार	-1
21)	राज्य सभा सचिवालय एक सिंहावलोकन	-1
22)	अनुप्रमाणन प्रपत्र	-1
23)	आवास और अन्य सुविधाओं संबंधी पुस्तिका	-1
24)	संसद सदस्य सुविधा अनुभाग के विभिन्न प्रपत्र	-1
25)	वार्षिक पार्किंग लेबल	-1
26)	पहचान पत्र तथा प्रवेश अनुमति पत्र	-1
27)	कार्यालयी प्रक्रिया की अनुभागीय नियम पुस्तिका	-1
28)	कार्यालयी प्रक्रिया की नियम पुस्तिका	-1
29)	वेतन और लेखा कार्यालय की पंजीकाएं	-1
30)	पेंशन भुगतान आदेश संबधी पुस्तिकाएं	-1
31)	संसदीय सुरक्षा सेवा- पंजिकाएं, नैमित्तिक प्रवेश अनुमति पत्र, सीपीआईसी द्वारा निर्गत प्रवेश अनुमति पत्र	-1
32)	नूतन प्रतिबिंब	-1
33)	हिंउी पखवाड़ा प्रमाण-पत्र	-1
34)	स्टोर अनुभाग के डेस्क कैलेंडर एवं पंजिकाएं	-1
35)	सारांश संबंधी विषय-वस्तु	-1
36)	वाद-विवाद संबंधी विषय-वस्तु	-1

37)	प्रकाशनों की सूची	-1
38)	संसद सदस्य वेतन और भत्ता अनुभाग के सभी प्रकाशन	-1
39)	वार्षिक सत्र संबंधी पार्किंग लेबल	-1
40)	सदस्यों की सूची	-1
41)	कार्य का संक्षिप्त विवरण	-1
42)	डिविजन सूची	-1
43)	राष्ट्रपति चुनाव संबंधी पुस्तिका	-1
44)	उपराष्ट्रपति चुनाव संबंधी पुस्तिका	-1
45)	राज्य सभा के सदस्यों हेतु सामान्य सूचना	-1
46)	आमंत्रण पत्र/आदेश	-1
47)	अनन्तिम कैलेण्डर	-1
48)	कार्यावलि	-1
49)	संसदीय समाचार पत्र (1&2)	-1
50)	सभा पटल पर रखे गए पत्र	-1
51)	विषय-बोध कार्यक्रम की कार्यावलि	-1
52)	कल्याण प्रकोष्ठ के प्रमाण-पत्र	-1

कुल -52